सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2019–20

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

राष्ट्रीय कैम्पा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

केंद्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 को लागू करके वन, वृक्षों और पारि-प्रणाली लाभों की हानि प्रतिपूर्ति करते हुए तथा वन और वन्यजीव पर्यावासों में गुणात्मक सुधार करके विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए गैर-वानिकी उद्देश्यों से वन भूमि के अपवर्तन के बदले प्रतिकरात्मक वनरोपण को उच्च प्राथमिकता दी है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) की स्थापना के बाद, तदर्थ काम्पा में जमा की गई धनराशि में से लगभग 51,300 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष 2019-20 में संबंधित राज्यों को हस्तांतरित की गई है। काम्पा के कार्यों में स्थानीय लोगों, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की भागीदारी से उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है। नमामि गंगे मिशन के तहत किए जाने वाले वनरोपण में काम्पा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। काम्पा, वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा वन्यजीवों, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, डॉल्फिन, संगाई हिरण और डुगोंग के संरक्षण संबंधी कार्यों में भी सहायता प्रदान कर रहा है। काम्पा के कार्यों से हमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और जैव-विविधता का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान काम्पा द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2019-20 के दौरान 38,273 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय और राज्य काम्पा के समन्वित प्रयासों से पारिस्थितिकीय और जैव-विविधता संरक्षण सुदृढ़ होगा जिससे हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे।

दिनांक : 08.03.2024

(भूपेन्द्र यादव)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-20819190, 011-20819225, फैक्स: 011-20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819225, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः
एक कदम स्वच्छता की ओर

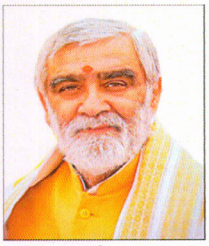

संदेश

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों जैसे विभिन्न विकास कार्यों, खनन अथवा उद्योगों के लिए जब भी वन भूमि हस्तानांतरित की जाती है, तो प्रयोक्ता संस्था वन एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक निधि प्रदान करता है। इस दिशा में सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतिपूरक निधि से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, वन संरक्षण, वनों की स्थिति तथा जैव विविधता में गुणात्मक सुधार करना, वनों का अग्नि से बचाव, जलागम क्षेत्रों का उपचार कार्य तथा एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन के सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं। कैम्पा निधि का उपयोग तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण नियमावली, 2018 के अनुरूप क्षतिग्रस्त वनों के रख-रखाव एवं स्थायी प्रबंधन हेतु कार्य किया जाता है।

वर्ष 2019 में राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने अपना कार्य प्रारंभ कर सभी संबन्धित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य कैम्पा निधि का भाग ट्रांस्फर किया है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस निधि से निश्चित समय सीमा में प्रतिपूरक वनीकरण एवं अन्य अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जिससे वनों एवं पारिस्थितिक सेवाओं मे कोई कमीं न हो पाए एवं प्रकृति और विकास के बीच समुचित संतुलन बनाए रखा जाए।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की **वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट** में राष्ट्रीय निधि द्वारा वित्तपोषित विभिन्न कार्यों और योजनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कैम्पा निधि से प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कैम्पा निधि से नमामि गंगे मिशन तथा अन्य नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में पौधरोपण के द्वारा सुधार एवं नदी संरक्षण पर अच्छे कार्य किए जा रहें हैं। विलुप्तप्राय वन्यजीवों प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, विशेष रूप से मणिपुर के संगाइ हिरण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तटों पर डुगोंग, राजस्थान में भारतीय सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), गंगा डॉलफिन आदि प्रमुख वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्यों को भी प्रमुखता दी जा रही है।

मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में कैम्पा निधि से न केवल वनीकरण में तेजी आएगी, बल्कि जैव विविधिता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन की कठिन चुनौतियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

मैं सभी हितधारकों को इस उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक रिपोर्ट को बनाने में योगदान देने वालों को हार्दिक साधुवाद देता हूं।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय: कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास: 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

MESSAGE

The National CAMPA Authority in association with States/UTs supports compensatory afforestation and other forestry and wildlife conservation activities for ecological restoration and improvement of the quality of forests and wildlife habitats. These activities not only help in improvement of ecosystem services but also contribute to efforts for combating land degradation and desertification.

The National Authority has accorded the highest priority towards the completion of committed compensatory afforestation and other mandated works, in a time-bound manner. National CAMPA also supports various schemes/research projects implemented by agencies/institutions in the field of forestry & wildlife. There is special focus on activities related to the non-timber forest produce of tribal and other forest dwelling communities, as these have inherent employment potential.

I am happy to see that National CAMPA has provided a platform for States and Union Territories to focus on speedy implementation of CAMPA activities and for sharing their good practices in the forestry sector. I am sure that in future too, CAMPA will continue to play a significant role in the forestry and wildlife sector and contribute to the country's success in meeting its national and international commitments.

(Leena Nandan)

Place: New Delhi
Date: February 13, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

जितेंद्र कुमार
JITENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND
CLIMATE CHANGE

MESSAGE

Compensatory Afforestation and other measures are taken when a forest area is diverted for non-forestry purpose as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. With the introduction of Compensatory Fund Act (CAF), 2016 and subsequent CAF Rules, 2018, implementation of Compensatory afforestation measures has been further streamlined and made more effective. Effective implementation of the Compensatory Afforestation measures is aimed at maintenance of ecological stability.

The Annual Report, 2019-20 of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) provides a comprehensive overview of activities undertaken, detailing the utilization of CAMPA funds. The report contains information that may be useful for formulating more appropriate strategies to address critical issues being faced by the forestry sector. The information provided in the report may also be useful in research works for the conservation and scientific management of the valuable forestry resources in the country.

I appreciate the efforts of the Chief Executive officer, CAMPA, and his team of officers for publication of the Annual Report 2019-20 of CAMPA. The report is important as activities planned and implemented with the utilisation of funds available under CAMPA carries high significance for maintaining healthy forest cover across the country. I am convinced that National CAMPA's initiatives will lead to a holistic improvement in forests, playing a significant role in ensuring ecological security.

04.06.2024

(Jitendra Kumar)

Place: New Delhi
Date: 4th June, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-20819239, 20819209

Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Ph. : 011-20819239, 20819209, E-mail : dgfindia@nic.in

प्राक्कथन

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) 3 अगस्त 2016 को अधिनियमित किया गया था और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 10 अगस्त 2018 को अधिसूचित किए गए थे। सीएएफ अधिनियम और नियम 30 सितंबर 2018 को लागू हुए जिससे भारत के सार्वजनिक खाते के तहत एक विशेष निधि के रूप में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का निर्माण संभव हो सका। राष्ट्रीय निधि में जमा किया गया धन गैर–व्यपगत योग्य और सब्याज निधि है। सीएएफ अधिनियम, 2016 संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते के तहत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रावधान करता है।

यह पहला वर्ष है जब नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कार्यभार संभाला और राष्ट्रीय कैम्पा के कामकाज को व्यवस्थित करने की बात कही और पहली शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कैम्पा ने कैम्पा निधि का राज्य हिस्सा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरित कर दिया।

राष्ट्रीय प्राधिकरण डुगोंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संगाई हिरण, गंगा डॉल्फिन आदि की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है। यह वृक्ष फसलों, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक प्रभाव में सुधार के लिए आईसीएफआरई द्वारा वानिकी अनुसंधान का भी समर्थन कर रहा है। जंगल की आग का अध्ययन पूरे भारत में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन जवाबदेही सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह ई–ग्रीन वॉच और डिजिटल वेब–पोर्टल के माध्यम से हरित आवरण के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के उन्नयन का समर्थन करता है।

यह वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियों, कार्यकारी समिति, शासी निकाय और निगरानी समूह की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णय, 2019–20 के वार्षिक खातों का विवरण आदि का अवलोकन प्रस्तुत करती है।

सुभाष

(सुभाश चंद्र)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	शब्द संक्षेपो की सूची	i-iii
2.	दृष्टि कथन	iv
3.	कार्यकारी सारांश	v-vi
4.	अध्याय 1: अवलोकन	1–8
5.	अध्याय 2: राष्ट्रीय एवं राज्य कैम्पा का गठन	9–16
6	अध्याय 3: निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा	17–22
7	अध्याय 4: राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा निर्णय	23–36
8	अध्याय 5: राष्ट्रीय कैम्पा के लिए खेते और लेखापरीक्षा	37–54
9	अध्याय 6: राष्ट्रीय कैम्पा निधि 2019–20 के अंतर्गत योजनाएँ	55–58
10	अध्याय 7: 2019–20 के दौरान कैम्पा की उपलब्धियाँ	59–70

शब्द संक्षेपो की सूची

ए.सी.ए	अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
एपीओ	संचालन की वार्षिक योजना
एआर	कृत्रिम पुनर्जनन
एएसडब्ल्यू	उन्नत मृदा कार्य
बीएनएचएस	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
सी एंड एजी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीटूसी	श्रेणी 2 केंद्र
सीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण
सीएएफ	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
सीएएमपीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएटीपी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
सीडीएच	क्रिटिकल डुगोंग पर्यावास
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीओएफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव वार्डन
सीजेडए	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
डीएफएल	निम्नीकृत वन भूमि

डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
ईसी	कार्यकारी समिति
ईएसआरपी	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
एफसी अधिनियम	वन (संरक्षण) अधिनियम
एफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधन
एफएससी	वन सुरक्षा समिति
एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीबी	शासी निकाय
जीआईबी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जीआईएम	हरित भारत मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईडीडब्ल्यूएच	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास
आई आई एफ एम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईयूसीएन	प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
आईडब्लूएसटी	लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एनएईबी	राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण–विकास बोर्ड

एनबीडब्ल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनसीएसी	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद
एनसीएएफ	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एनकैम्पा	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
एनसीडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र
एनएफआईसी	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह
एन पी वी	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनवीवाई	नगर वन योजना
सीए	संरक्षित क्षेत्र
परिवेश	इंटरएक्टिव, सदाचारी और पर्यावरण सिंगल–विंडो हब द्वारा प्रो–एक्टिव और रिस्पॉन्सिव सुविधा
पीसीए	दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
रेड़	वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना
एसएआर	अलग ऑडिट रिपोर्ट
एससीएएफ	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एसएफडी	राज्य वन विभाग
एसएमसी	मृदा एवं नमी संरक्षण
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
वैपकोस	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान

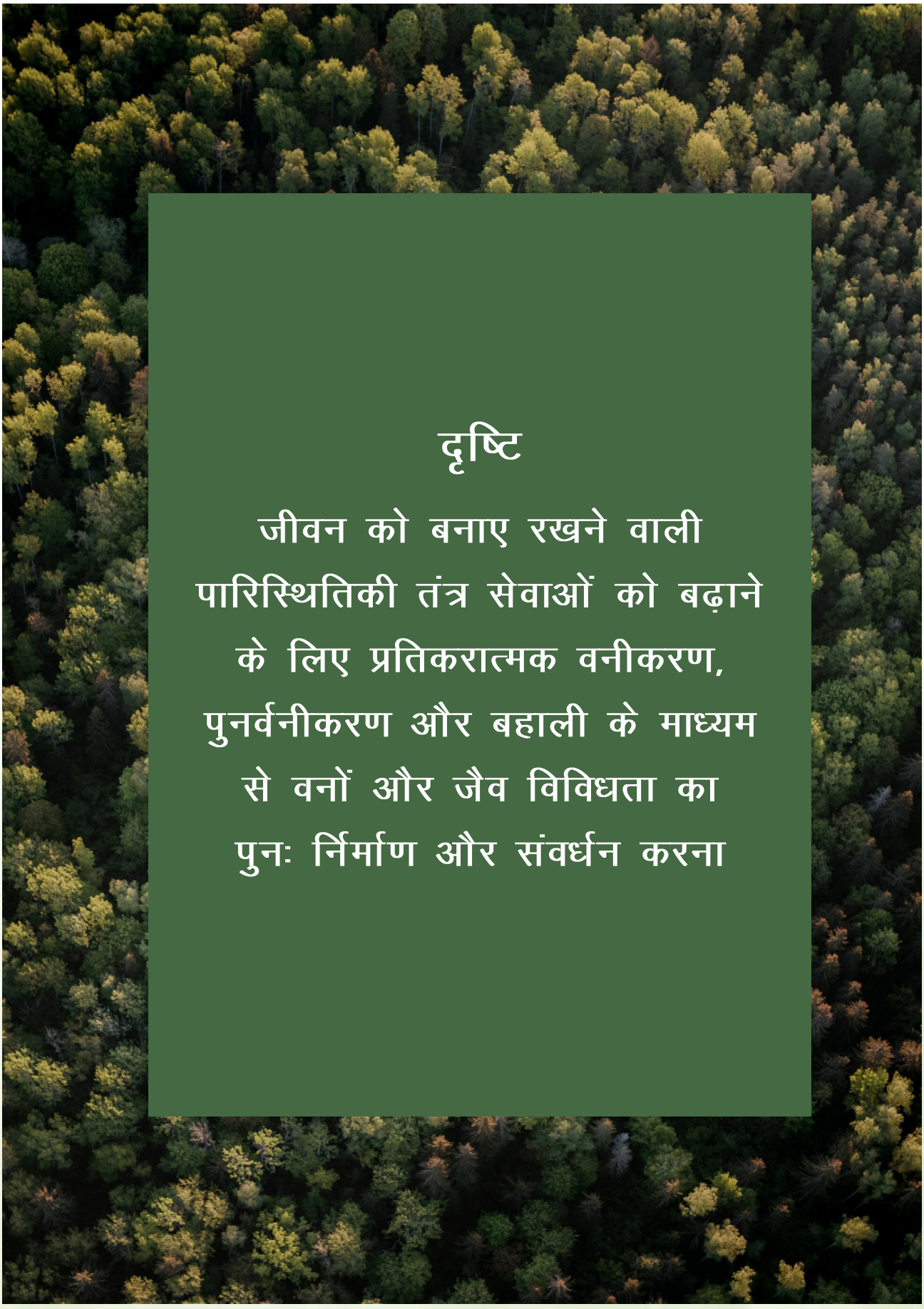

दृष्टि

जीवन को बनाए रखने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण, पुनर्वनीकरण और बहाली के माध्यम से वनों और जैव विविधता का पुनः निर्माण और संवर्धन करना

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) 3 अगस्त, 2016 को अधिनियमित किया गया था। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 को 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था। सीएएफ अधिनियम और नियम 30.09.2018 से लागू हुए।

2. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण और अन्य सभी के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को जमा करने के लिए भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खातों के तहत धन की स्थापना का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से वसूली गई राशि। अधिनियम में तदर्थ कैम्पा द्वारा रखे गए धन का 90% विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने और कॉर्पस के 10% को बनाए रखने का प्रावधान है। राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय निधि के रूप में।

3. यह अधिनियम भारत के सार्वजनिक लेखा और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत कोषों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है और उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा वन भूमि के गैर–वनिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि की भुगतान के लिए संबंधित धनराशि या प्रतिकरात्मक शुल्क के अंतर्गत स्थापना की है। 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के उन्नयन के कारण वन भूमि और पारिस्थितिकी विशेषताओं के नुकसान का भरण–पोषण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिक. रात्मक शुल्क किया जाना है। इन प्रतिकरात्मक शुल्को में प्रतिकरात्मक वनोत्पादन, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनोत्पादन, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनोत्पादन, प्रतिकरात्मक और वन भूमि और पारिस्थितिकी विशेषताओं के नुकसान का भरण–पोषण करने के लिए ऐसी एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशियाँ शामिल हैं।

4. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम कैम्पा निधि के प्रशासन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरों पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और निगरानी समूह शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा प्राधिकारियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों की कार्यकारी समिति, संचालन समिति और शासी निकाय हैं।

5. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि, अधिनियम के तहत उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा प्राधिकरण द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। सीएएफ अधिनियम की धारा 19 के तहत, राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति राज्य कैंपा निधि से कार्यान्वित की जाने वाली वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य संबंधित गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण देते हुए संचालन की वार्षिक योजना तैयार करती है, जो जांच के बाद और राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की मंजूरी को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजा जाता है।

6. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 लागू होने के बाद और 31 मार्च, 2020 तक रुपये की राशि। 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 51,379.49 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान रु. वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुपालन में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास 5362.48 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति शुल्क जमा किया गया था।

8. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की तीन बैठकें (दूसरी से चौथी ईसी बैठकें) और राष्ट्रीय प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी (जीबी मीटिंग) की एक बैठक आयोजित की गईं।

9. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 2019–20 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एपीओ को सीएएफ अधिनियम, 2016 और सीएएफ 2018, नियमों के अनुसार 5,557.43 करोड़ रुपये की विनियोजन को मंजूरी दी। इस अनुमोदित दी गई राशि के लिये, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने अपने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वन विभागों को अनुमोदन को लागू करने के लिए 3787.09 करोड़ रुपये जारी किए और 3431.51 करोड़ रुपये का उपयोग विभिन्न मंजूर किए गए कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन में किया गया है।

10. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने प्रतिबद्ध प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

11. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1980 से 31.03.2020 तक के संचयी लक्ष्य 9,08,551.32 हेक्टेयर के मुकाबले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 7,96,835.92 हेक्टेयर (लक्ष्य का 87.70%) क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया है।

12. राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, अपने अन्य कार्यों के अलावा, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) को मंजूरी देती है और अनुमोदन के लिए शासी निकाय को राष्ट्रीय निधि के तहत योजनाओं की सिफारिश करती है।

13. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसरण में तैयार की जाती है और इसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की गतिविधियां शामिल हैं।

अवलोकन

अध्याय 1

1.1 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की मुख्य विषेशताएं

i. (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला जाता है।

ii. प्रतिकरात्मक लेवी अर्थात. प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीवों पर प्रभाव को कम करने के लिए एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत को जमा किया जाता है, जहां भी वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए लागू होता है।

iii. इन प्रतिकरात्मक शुल्कों को राष्ट्रीय और राज्य निधि में 10:90 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये निधि गैर–व्यपगत योग्य और सब्याज हैं। राष्ट्रीय निधि का रखरखाव भारत के सार्वजनिक खाते में किया जाता है, जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की निधि का रखरखाव संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते में किया जाता है।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि कार्यों के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा)। राष्ट्रीय कैम्पा में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और एक निगरानी समूह शामिल हैं।

v. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा (प्राधिकरण) प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं।

vi. प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और किसी अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधि/योजना के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार अनुमोदित योजनाओं/योजनाओं के अनुसार किया जाता है।

vii. शुद्ध वर्तमान मूल्य निधि का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव आवास में सुधार, जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ की संवृद्धि के लिए किया जाता है।

viii. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करते हैं।

ix. अपने अस्तित्व के पांच वर्षों में, राष्ट्रीय कैम्पा ने गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन भूमि के खिलाफ

अनिवार्य प्रतिकरात्मक वनीकरण को पूरा करने का प्रयास किया है और राज्यों के समर्थन से मार्च, 2023 तक 10.50 लाख हेक्टेयर प्रतिकरात्मक वनीकरण हासिल करने में सक्षम रहा है।

x. राष्ट्रीय कैम्पा के प्रयास स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक पुनर्जनन और वनीकरण, मृदा और जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, आग की रोकथाम, आक्रामक प्रजातियों को हटाने और नियंत्रण के माध्यम से वन क्षरण के चालकों को समग्र रूप से संबोधित करके नष्ट हुए वनों की पारिस्थितिक बहाली की ओर निर्देषित हैं।

1.2 राष्ट्रीय कैम्पा में प्राप्त धनराशि की प्राप्ति और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण की प्रक्रिया

i. सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, बांध, खनन आदि जैसी किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने के लिए साइट–विशिष्ट गैर–वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि का उपयोग करने की इच्छुक किसी भी एजेंसी को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। वन भूमि के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के प्रावधान हैं। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भूमि के अभाव में प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वन मंजूरी (एफसी) प्रदान की जाती है।

ii. उपयोगकर्ता एजेंसी को संबंधित राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिकरात्मक वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और ऐसी भूमि पर उठाए जाने वाले प्रतिकरात्मक वनीकरण, एनपीवी और अन्य लेवी की लागत जमा करने की आवश्यकता है। एनपीवी का मूल्य उपयोगकर्ता एजेंसी से वन भूमि की श्रेणी/प्रकार के आधार पर प्राप्त किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।

iii. ये धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के सार्वजनिक खातों में 10:90 के अनुपात में जमा की जाती है जो ब्याज देने वाली और गैर–व्यपगत योग्य होती है।

1.3 प्रतिकरात्मक शुल्क का संग्रहण एक नजर में: कैम्पा निधि निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत जमा की जाती है: –

1.3.1 अनिवार्य गतिविधियाँ:

i. प्रतिकरात्मक वनरोपण

ii. दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण

iii. कोई अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण,

iv. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना

v. एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना

vi. अन्य साइट विशिष्ट गतिविधियाँ

1.3.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य

1.3.3 ब्याज घटक

1.3.4 अन्य

1.4 संचालन की वार्षिक योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया

सीएएफ नियम संचालन की वार्षिक योजना को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं

"संचालन की वार्षिक योजना" का अर्थ है, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों के लिए वार्षिक योजना, जो मील के पत्थर, सफलता की स्थितियों का वर्णन करती है और बताती है कि कैसे, एक रणनीतिक वार्षिक योजना को संचालन में लाया जाएगा। दिए गए बजटीय अवधि में वित्तीय वर्ष के दौरान, और इसमें अन्य बातों के अलावा, संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की समय–सारणी शामिल है;

राज्यों के वार्षिक संचालन योजना को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 (सीएएफ नियम, 2018) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति वार्षिक संचालन योजना को मंजूरी देते समय राज्य वार्षिक संचालन योजना की प्रस्तावित कैम्पा गतिविधियों की जांच करती है। अधिनियम और नियमों के अनुसार उनकी अनुमति के संबंध में, व्यय की प्रवृत्ति, कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन की स्थिति, यह औचित्य कि गतिविधि को अन्य वानिकी योजनाओं/कार्यक्रमों से नहीं लिया जा सकता है, विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय आदि। प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना की अनिवार्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ, जो वन और वन्यजीव मंजूरी का हिस्सा हैं, प्राथमिकता पर अनुमोदित की जाती हैं। अन्य वन क्षेत्रों में सामान्य वन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह जांच की जाती है कि राज्य वन विभाग की अन्य योजनाओं से कितनी गतिविधियाँ ली जा सकती हैं।

राज्य निधि के उपयोग के लिए, राज्य प्राधिकरणों द्वारा फॉर्म–XII में वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) तैयार की जाती है। वार्षिक संचालन योजना वन आवरण और अन्य संबंधित गतिविधियों में सुधार के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना है और इसमें संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान के लिए आधार, निष्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और प्रत्येक की समय–सारणी भी शामिल है। एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधि।

राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एपीओ **को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को हर साल 31 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में राष्ट्रीय प्राधिकरण को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भेजा जाता है ।

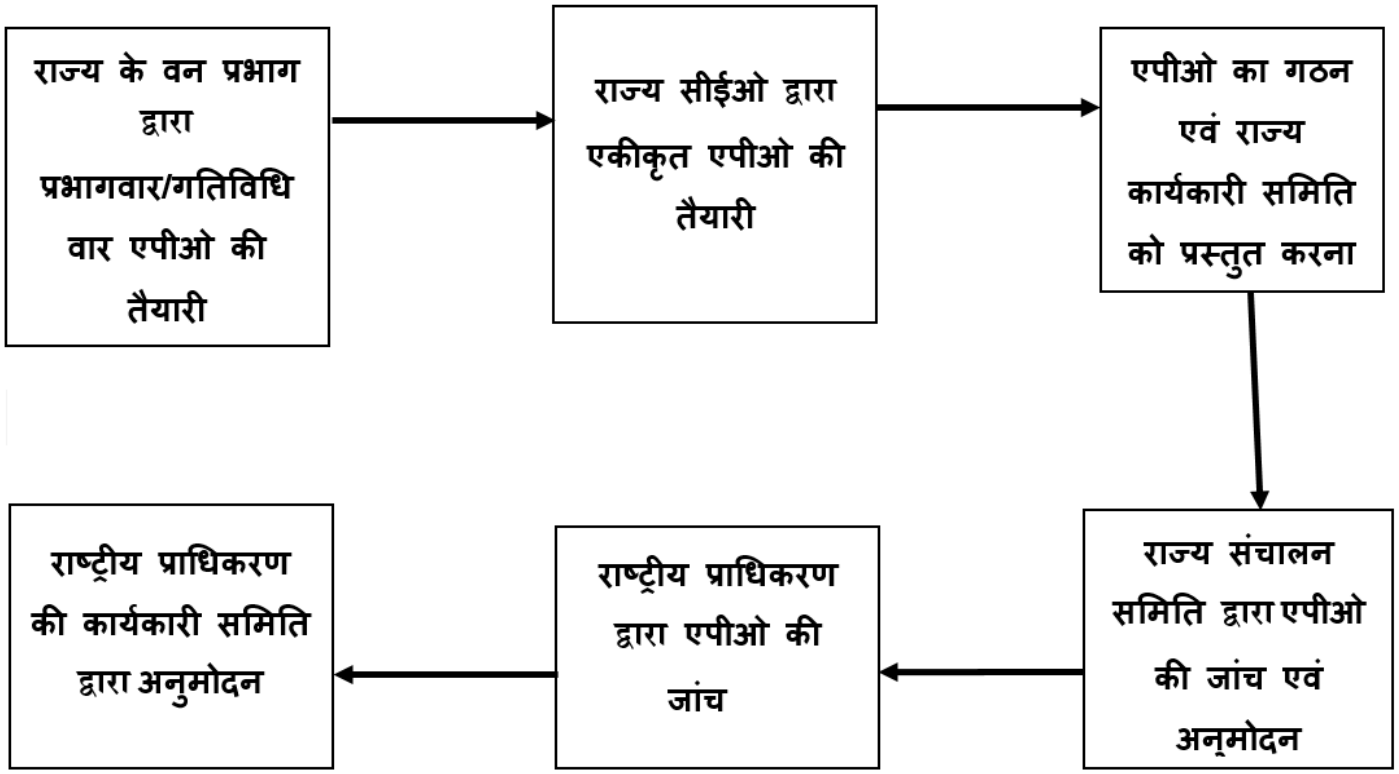

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018, इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. **साइट विशिष्ट गतिविधियाँ:** प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए), दंडात्मक सीए अतिरिक्त सीए, सीएटी योजना और किसी भी अन्य साइट–विशिष्ट योजना के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग वन के डायवर्जन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजनाओं के अनुसार किया जाना है।

ii. **वन्यजीव गतिविधियाँ:** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयों या संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के डायवर्जन के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना है

iii. **एनपीवी निधि से गतिविधियाँ:** एनपीवी और दंडात्मक एनपीवी के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी और अन्य वन उपज की आपूर्ति के लिए किया जाना है। उपकरणों और अन्य संबद्ध गतिविधियों को निर्धारित तरीके से किया जाता है।

1.5 राज्य निधि पर अर्जित ब्याज से अनुमत गतिविधियाँ: राज्य प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को राज्य निधि में अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है।

1.6 राष्ट्रीय निधि का उपयोग

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए गैर–आवर्ती और आवर्ती व्यय, जिसमें इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं।

ii. राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय।

iii. किसी भी संस्थान, सोसायटी, वन और वन्य जीवन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र, पायलट योजनाओं, कोड और दिशानिर्देशों के मानकीकरण और वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय।

***

प्रतिकारात्मक वनरोपण

प्रतिकारात्मक वनरोपण मनुगुरू वनमण्डल, तेलंगाना

प्रतिकारात्मक वनरोपण, राजस्थान

प्रतिकारात्मक वनरोपण, छत्तीसगढ़

प्रतिकारात्मक वनरोपण, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय एवं राज्य कैम्पा का गठन

अध्याय 2

2. राष्ट्रीय कैम्पा

2.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय

राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय का गठन माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
ii.	पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, वित्त (व्यय), ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि, पंचायती राज, जनजातीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)	सदस्य, पदेन
iii.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	अपर महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	अपर महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vii.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक से अधिक नहीं, एक समय में दो साल की अवधि के लिए रोटेषन के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे। 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), तेलंगाना 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), ओडिशा 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), उत्तर प्रदेश 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जम्मू और कश्मीर 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), गुजरात	सदस्य, पदेन
ix.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	पद
x.	पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में से पांच विशेषज्ञों को केंद्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो।	सदस्य, पदेन
xi.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

2.1.1 शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य

राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करता है और निम्नलिखित कार्य करता है:

- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करना।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना;
- कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी।

2.2 राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति वन महानिदेशक और विशेष सचिव (DGF&SS) की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ कार्य करती है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
ii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य
vii.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	एक पेशेवर पारिस्थितिकीविज्ञानी, जो केंद्र सरकार से नहीं है	सदस्य
ix.	वानिकी, आदिवासी विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के तीन विशेषज्ञ, जो केंद्र सरकार से नहीं हैं	सदस्य
x.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य–सचिव

2.2.1 कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों की वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) की मंजूरी;
- धारा '5' प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के खंड (बी) के उप–खंड (iii) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें और योजनाएं/पायलट परियोजनाएं निष्पादित करें;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- खाते की किताबें और ऐसे अन्य रिकॉर्ड बनाए रखें।
- जानकारी के लिए अपने निर्णयों को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करें;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना;
- समय–समय पर शासी निकाय या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

2.3 राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूहः

निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामा. जिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

2.4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा प्राधिकरण

राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य निधि के प्रबंधन और अधिनियम के उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक शासी निकाय शामिल होगा जिसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

2.4.1 राज्य प्राधिकरण का शासी निकायः

राज्य कैम्पा प्राधिकरणों की शासी निकाय का गठन राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ किया जाता है। किसी केंद्रशासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं होने की स्थिति में, उपराज्यपाल या प्रषासक, जैसा भी मामला हो, शासी निकाय का अध्यक्ष हो सकता है।

तालिका–1: शासी निकाय, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान–धारा–10(5)

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	मुख्यमंत्री, राज्य और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो	अध्यक्ष, पदेन
2.	वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
3.	राज्य सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
4.	राज्य सरकार के पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	सदस्य, पदेन
6.	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
7.	राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन

2.4.2 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के शासी निकाय की शक्तियां और कार्य धारा–17(1),

राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय –

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समग्र ढांचे के भीतर ऐसे राज्य प्राधिकरण के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना।
ii. राज्य प्राधिकरण के कामकाज की समय–समय पर समीक्षा करना।
iii. छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.5 राज्य प्राधिकरण की राज्य स्तरीय संचालन समितिः

राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार हैः

तालिका–2ः संचालन समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान –धारा–11(2)

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2.	वन, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव	सदस्य, पदेन
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF), राज्य	सदस्य, पदेन
4.	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	सदस्य, पदेन
6.	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य, पदेन
7.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
8.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.5.1 संचालन समिति की शक्तियाँ एवं कार्य धारा–18(1),

राज्य प्राधिकरण की संचालन समितिः–

1. संबंधित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना की जांच और अनुमोदन करें और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना।
2. राज्य निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना,
3. निवेष निर्णयों सहित कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना,
4. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन मंजूरी देना,
5. हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.6. राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति धारा–11(3),

राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति अन्य सदस्यों के साथ राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (HoFF) की अध्यक्षता में कार्य करती है। राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है

तालिका–3: कार्यकारी समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान

क्र.सं	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राज्य	अध्यक्ष, पदेन
2.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य	सदस्य, पदेन
3.	वन और वन्यजीव संबंधी योजनाओं को देखने वाला मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
4.	वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
6.	पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7.	वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य, पदेन
8.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्य
9.	जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे	सदस्य
10.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.6.1. कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य धारा–19(1),

राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः–

i. संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना और उसकी सहमति के लिए राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को प्रस्तुत करना।

ii. राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

iii. खाते की किताबें और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।

iv. राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

v. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

vi. वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए जिम्मेदार।

vii. राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

रोक बाँध, चौक, महाराष्ट्र

रोक बाँध, शेवता, महाराष्ट्र

रोक बाँध, वालबंडा, महाराष्ट्र

2.5 लाख लीटर जलाशय का निमार्ण ढ़डखेत, उत्तराखंड़

जलाशय धर्मघेर, उत्तराखंड़

निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

अध्याय 3

3.1. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रदर्षन की समीक्षा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभाग द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों को शामिल करके की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण वृक्षारोपण के स्थान, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य वन विभागों द्वारा अपलोड किए गए वृक्षारोपण के भू–स्थानिक डेटा (बहुभुज) का विश्लेशण करता है।

3.1.1 सीएएफ अधिनियम धारा 9 (3) में राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह के गठन का प्रावधान है: निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार भी शामिल होंगे।

3.1.2 सीएएफ अधिनियम धारा 16(1) में प्रावधान है कि निगरानी समूह–

i. केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके धन के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में:

   बशर्ते कि केंद्र सरकार रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विशेषज्ञों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है;

ii. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके निष्पादित कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा करना;

iii. पारदर्षिता और जवाबदेही के लिए उपाय करें।

iv. निगरानी समूह की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

3.1.3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नानुसार की जा रही है –

i. **आंतरिक निगरानीः** – आंतरिक निगरानी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वन विभाग के वन अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, उनके अलावा जिन्होंने कैम्पा गतिविधियों को अंजाम दिया है। प्रत्येक राज्य ने निगरानी और मूल्यांकन इकाई के प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। कई राज्यों में मॉनिटरिंग इकाई के प्रभारी के रूप में पीसीसीएफ/एसीसीएफ/सीसीएफ हैं। छोटे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निगरानी डीसीएफ, एसीएफ द्वारा की जाती है। वरिष्ठ वन अधिकारियों को रेंज वन अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं और तकनीकी अधिकारियों के सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभाग और रेंज स्तर द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखकर नियमित रूप से आंतरिक निगरानी की जा रही है।

ii. **तृतीय पक्ष निगरानीः** – तृतीय पक्ष निगरानी उन तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कैम्पा गतिविधियों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों जैसे राज्यों के अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं।

iii. **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानीः**– क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी अपने समन्वय के तहत कैम्पा गतिविधियों की निगरानी करते हैं। चूंकि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वन विवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी/जांच और मंत्रालय के लिए अनुशंसित किया जा रहा है, इसलिए वे कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

iv. **एफएसआई आधारित ई–ग्रीन वॉचः** – ई–ग्रीन वॉच वृक्षारोपण की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधारित पोर्टल है। यह एफएसआई, देहरादून द्वारा किया जाता है जो वृक्षारोपण की केएमएल फाइलों के सत्यापन पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे जमीनी सत्यापन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

v. **राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निगरानीः**– राष्ट्रीय प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी समय–समय पर कैम्पा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं।

3.2. ई–ग्रीन वॉच पोर्टल

10 जुलाई, 2009 के आदेश से हुई है और इसे पर्यावरण मंत्रालय, एफएसआई और राज्य वन विभागों के परामर्श से एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, एक एकीकृत प्रणाली है जिसका कैम्पा निधि का उपयोग करके राज्य वन विभागों (SFDs) द्वारा किए जा रहे सभी वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी की सुविधा के लिए है। ई–ग्रीन वॉच एक वेब–आधारित, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। यह कैम्पा के तहत बनाए गए वृक्षारोपण और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक एकीकृत पोर्टल (http://www.egreenwatch.nic.in) है।

3.2.1. भारतीय वन सर्वेक्षण की ई–ग्रीनवॉच

i. एसएफडी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों की जांच करता है

ii. पूर्ण, अपूर्ण और अस्पष्ट तथा समीक्षाधीन जैसी विभिन्न श्रेणियों में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मासिक रिपोर्टिंग

iv. एनआईसी के साथ एसएफडी का प्रशिक्षण

अब तक, 30 से अधिक राज्यों एसएफडी/केंद्र शासित प्रदेशों ने एफएसआई से अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई–ग्रीन वॉच पर प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ई–ग्रीन वॉच पोर्टल से जुड़े हुए हैं। एप्लिकेषन कैम्पा गतिविधियों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों की निगरानी करने में सक्षम है:

i. **प्रतिकरात्मक वनरोपण भूमि (सीए साइटें)**– गैर–वन गतिविधियों के लिए वन भूमि परिवर्तन के मुआवजे के रूप में प्राप्त भूमि।

ii. **डायवर्टेड भूमि (डीएल)**– वन भूमि को गैर–वन गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया।

iii. **वृक्षारोपण कार्य (पीडब्लू)**– सीए स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।

iv. **अन्य वृक्षारोपण कार्य (ओपीडब्ल्यू)**– गैर–सीए स्थलों पर किया गया वृक्षारोपण कार्य।

एफएसआई ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर एसएफडी/यूटी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों का विश्लेषण और निगरानी कर रहा है और इसे केएमएल प्रारूप में डाउनलोड किया गया है।

***

पुर्नवास पश्चात चारागाह विकास कार्य

केलपानी चाराभूमी

धारागढ़ चाराभूमी

अमोना चाराभूमी

वृक्षारोपण, महाराष्ट्र

वृक्षारोपण, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा निर्णय

अध्याय 4

4.1 कार्यकारी समिति की बैठकें

4.1.1. दूसरी कार्यकारी समिति की बैठक 26 अप्रैल, 2019 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय (करोड़ों में)	फैसले
1	हरियाणा का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	9684.94	समिति ने सीएएफ अधिनियम और सीएएफ नियमों के अनुसार प्रस्ताव की जांच की। प्रस्ताव को गैर–अनुमेय गतिविधियों के लिए संशोधन के अधीन अनुमोदित किया गया है। एपीओ बजट का पुनरीक्षण भी प्रस्तुत करने को कहा गया।
2	त्रिपुरा का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	20.83	एपीओ बजट को संशोधित करने और रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित करने के लिए कहा गया था।
3	गुजरात का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	256.470	सीसीए और आईजीएफ, संयुक्त सीईओ राष्ट्रीय प्राधिकरण एपीओ की जांच करेंगे और राज्य कैम्पा को गतिविधियों का विवरण अलग से प्रदान करना चाहिए। अध्यक्ष, ईसी को मंत्रालय में चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए संशोधित एपीओ के साथ गुजरात वन विभाग के प्रतिनिधि को बुलाना होगा।
4	मध्य प्रदेश का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	506.38	समिति ने बजट पुनरीक्षण की अनुशंसा की.
5	ओडिशा का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	85.29	कार्यकारी समिति के अनुसार एपीओ बजट को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

6	तेलंगाना का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	510	।एपीओ बजट को सीएएफ नियम 2018 के अनुसार संशोधित करने की सिफारिश की गई है
7	सिक्किम का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	54.38	बजट को सीएएफ अधिनियम और सीएएफ नियमों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।
8	यूपी का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	295	कार्यकारी समिति द्वारा एपीओ बजट संशोधन की सिफारिश की गई थी
9	उत्तराखंड का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	218	कार्यकारी समिति द्वारा एपीओ बजट संशोधन की सिफारिश की गई थी
10	राजस्थान का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गति. विधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	267.69	कार्यकारी समिति द्वारा एपीओ बजट संशोधन की सिफारिश की गई थी

4.1.2 तीसरी कार्यकारी समिति की बैठक 29 अगस्त, 2019 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसका विवरण इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	छत्तीसगढ़ का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	848.5104	समिति ने सीएएफ अधिनियम और सीएएफ नियमों के अनुसार प्रस्ताव की जांच की। छत्तीसगढ़ के लिए एपीओ की सैद्धांतिक मंजूरी रु. 848.5104 कोर केवल कार्यकारी समिति द्वारा अनुशंसित संशोधनों के अधीन हैं। एपीओ में उल्लिखित पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि अगले वर्ष एपीओ में की जाने वाली गतिविधियों का हिस्सा होगी। उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अनुमोदन जारी किया जाएगा।
2	गुजरात का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	259.9700	कार्यकारी समिति द्वारा अनुशंसित उचित परिवर्तनों के बाद संशोधित एपीओ को राज्य की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। एपीओ में दिए गए स्पष्टीकरण और टिप्पणियों को शामिल करते हुए संचालन समिति से अनुमोदित संशोधित एपीओ प्राप्त होने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

3	मिजोरम का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	19.2276	एपीओ में दिए गए स्पष्टीकरणों और टिप्पणियों को शामिल करते हुए राज्य की संचालन समिति से अनुमोदित संशोधित एपीओ प्राप्त होने के बाद अंतिम मंजूरी जारी की जाएगी।
4	महाराष्ट्र का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	499.38	गैर–अनुमेय गतिविधियों के लिए संशोधन के अधीन एपीओ को मंजूरी दे दी। एपीओ के लिए बजट तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
5	आंध्र प्रदेश का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	306.79	समिति ने गैर–अनुमेय गतिविधियों के लिए संशोधन के अधीन एपीओ को मंजूरी दे दी। एपीओ के लिए बजट तदनुसार संशो. धित किया जाएगा।
6	पश्चिम बंगाल का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	70.07	वित्तीय स्वीकृति राज्य संचालन समिति से एपीओ प्राप्त होने के बाद एपीओ में दिए गए स्पष्टीकरण और टिप्पणियों को शामिल करते हुए जारी की जाएगी।
7	वित्तीय स्वीकृति राज्य संचालन समिति से एपीओ प्राप्त होने के बाद एपीओ में दिए गए स्पष्टीकरण और टिप्पणियों को शामिल करते हुए जारी की जाएगी।	साइट–विशिष्ट कार्रवाइयां विकसित करना और संबंधित उद्देश्य संरक्षण संरक्षित क्षेत्र योजनाओं और (प्रबंधन और कार्य योजना दोनों) में प्रवासी पक्षी प्रजातियों और उनके आवासों की संख्या और गैर–संरक्षित क्षेत्रों के लिए की जाने वाली कार्रवाई का विवरण। वन कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करें प्रवासी पक्षी संरक्षण भारत में पवन फार्म और ऊर्जा क्षेत्र की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्रण की तैयारी । राष्ट्रीय कार्य योजना में प्राथमिकता दी गई 20 प्रजा. तियों के लिए एकल प्रजाति कार्य योजना तैयार करना।	3.7540	प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकार कर लिया गया था। 3.754 करोड़. कार्यकारी समिति द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 की धारा 14(1)(iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय के अनुमोदन के लिए अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव का कार्यक्रम प्रभाग होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग और प्रस्ताव की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग की होगी।

8	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जंगल की आग के कारण प्रति हेक्टेयर के आधार पर वास्तविक रूप से आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए परियोजना प्रस्ताव आईसीएफआरई	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में वन प्रकारों के लिए प्रति हेक्टेयर आधार पर कुल आर्थिक मूल्य यानी मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में वन हानि की मात्रा निर्धारित करना। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए जंगल की आग के कारण जले हुए क्षेत्र का आकलन और गंभीरता का वर्गीकरण। वनाग्नि के कारण स्थलीय वनस्पतियों की प्रति हेक्टेयर के आधार पर आर्थिक हानि का आकलन प्रति हेक्टेयर के आधार पर जंगल की आग के कारण जीव–जंतुओं की विविधता और आवास का आर्थिक नुकसान का आकलन। प्रति हेक्टेयर आधार पर जलवैज्ञानिक परिवर्तनों का आर्थिक हानि आकलन विशिष्ट वन प्रकारों के लिए प्रति हेक्टेयर के आधार पर जंगल की आग के कारण प्रावधान सेवाओं और वन उपज के सांस्कृतिक मूल्य का आर्थिक नुकसान आ. कलन और एक्सट्रपलेषन या राज्यों द्वारा किया जाएगा।	2.2646	संकल्पना नोट और प्रस्ताव रुपये के परिव्यय के साथ। 2.2646 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए और सीएएफ अधिनियम 2016 की धारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए कार्यकारी समिति द्वारा इसकी सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। आईसीएफआरई विस्तृत परियोजना प्रस्तुत करेगा/शासी निकाय के विचार के लिए 18 महीने से घटाकर 9 महीने की समयसीमा वाली योजना। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन नीति प्रभाग की जिम्मेदारी होगी

9	राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक मामले	तदर्थ कैम्पा, जो अब राष्ट्रीय कैम्पा है, के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की निरंतरता को बनाए रखना। मानव संसाधन का विस्तार कार्यालय की जगह वाहन की आवश्यकता	.	राष्ट्रीय कैम्पा के सीईओ को दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। तदर्थ कैम्पा में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई समान शर्तों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमोदित एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं से अनुबंध के आधार पर राष्ट्रीय प्राधिकरण में लिया जाएगा। कार्यालय स्थान के संबंध में, मंत्रालय के पास केंद्रीय स्थान पर सरकारी स्वामित्व वाली इमारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण को समायोजित करने की संभावना तलाशी जाएगी। रोजमर्रा के कार्यों के लिए शुरुआती दिनों में दो स्टाफ कारें उपलब्ध कराई जाएंगी। अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता प्रति. नियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय प्राधिकरण में शामिल होने वाले अधिकारियों की पात्रता के अनुसार होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि संगठनात्मक संरचना, नं. सीएएफ अधिनियम प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए आवश्यक विभिन्न स्तरों के पदों के लिए पदों की संख्या, प्रस्तावित वेतन, भर्ती के तौर–तरीके आदि को अंतिम रूप दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

10	बॉन चैलेंज– आईयूसीएन पर वन परिदृश्य बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकारों की उन्नत क्षमता निर्माण।	राज्यों में वन परिदृश्य बहाली (एल) पर किए गए प्रयासों की निगरानी और मूल्यांकन कर रहा है ताकि देश से बॉन चैलेंज पर रिपोर्टिंग के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। मैं। एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने की सुविधा प्रदान करना 1. द्वितीय राज्यों द्वारा रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय स्तर पर संकलन को सक्षम बनाना 2. एफएलआर और बॉन चौलेंज पर भारतीय राज्यों की क्षमता निर्माण – शुरुआत में 5 राज्यों – एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और कर्नाटक में पायलट फॉलोआउट और बाद में इसे बढ़ाना। 3. की पहचान, प्राथमिकता और निगरानी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करें रोम पद्धति का उपयोग करके पायलट राज्यों में FL के लिए परिदृष्य। 4. बॉन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में संयुक्त रूप से काम करना। 5. भारत में वन परिदृष्य बहाली और बॉन चौलेंज पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परामर्श के दूसरे अध्याय का आयोजन करें और क्षेत्र से एफएलआर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक मंच बनाएं।	5.9	प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और कार्यकारी समिति द्व ारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 की धारा 14(1)(पअ) में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आईयूसीएन द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनएईबी के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी, जो मंत्रालय में इस योजना के लिए कार्यक्रम प्रभाग को लागू करेगा।

4.1.3 चौथी कार्यकारी समिति की बैठक 15 अक्टूबर, 2019 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें कार्यकारी समिति के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। विवरण नीचे दिया गया है: (करोड़ रुपये में)

क्र.सं	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	हिमाचल प्रदेश का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समि. ति के समक्ष प्रस्तुत किया	156.906	एपीओ के लिए गतिविधिवार संशोधित परिव्यय को रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए
2.	कर्नाटक का ए.पी.ओ		150.75	
3.	मणिपुर का ए.पी.ओ		30.97	
4.	असम का ए.पी.ओ		55.8863	
5	झारखंड का ए.पी.ओ		409.47	1. प्रजातियों का चयन कार्य योजना के नुस्खों के आधार पर होना चाहिए। 2. एनपीवी के लिए प्राप्त धन या अर्जित ब्याज को किसी अन्य बजट से कार्यान्वयन के तहत किसी भी अन्य राज्य योजनाओं के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। 3. कैम्पा निधि से राष्ट्रीय राजमार्गों में अंड. रपास और ओवर पास का निर्माण अनुमन्य नहीं है क्योंकि यह छभ।प की जिम्मेदारी है और केवल छभ।प ही ऐसे निर्माण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
6.	बिहार का ए.पी.ओ		140.18	एपीओ के लिए गतिविधिवार संशोधित परिव्यय को रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए
7.	गोवा का ए.पी.ओ		20.17	
8.	मिजोरम का ए.पी.ओ		19.22	तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए राज्य को अनुस्मारक जारी करना और तब तक एपीओ की मंजूरी पर रोक रहेगी।

9	छत्तीसगढ़ का ए.पी.ओ		848.51	
10.	महाराष्ट्र का ए.पी.ओ		499.38	1. राज्य के बजट में वानिकी क्षेत्र के लिए आवंटन में कमी नहीं की जानी चाहिए। 2. राज्य निगरानी कार्य का संक्षिप्त विवरण और सार प्रस्तुत करेगा। 3. 20: एनपीवी के तहत डब्ल्यूबीएम सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 4. वाहनों की खरीद, बुनियादी ढांचे के विकास, वेतन आदि के संबंध में बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार गतिविधियां की जाएं। 5. वाहनों की मरम्मत कैम्पा निधि से खरीदे गए वाहनों तक ही सीमित होगी। 6. वन्य जीव क्षेत्रों में सिविल कार्यों का प्रावधान। 7. मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों का रखरखाव। 8. सभी साइट विशिष्ट और गैर–साइट–. विशिष्ट गतिविधियों के लिए जियो टैग। 9. गैर–अतिव्यापी गतिविधियों के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। 10. सभी शारीरिक गतिविधियों के मापने योग्य आउटपुट और प्रत्येक अनुमेय गतिविधि के लक्ष्य।
11	उत्तराखंड का ए.पी.ओ		218	1. गैर–अनुमेय गतिविधियों के लिए संशोधित एपीओ प्रस्तुत किया जाएगा। 2. राज्य बजट में वानिकी क्षेत्र के लिए आवंटन में कोई कटौती नहीं। 3. उत्तराखंड के बुग्यालों के संरक्षण हेतु राज्य विशिष्ट योजना राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। 4. अर्जित ब्याज से आवंटित 10 करोड़ रुपये की अनुमति बिना विवरण के नहीं दी जा सकती।

12	उत्तर प्रदेश का ए.पी.ओ		295	5. सभी साइट विशिष्ट और गैर–साइट–. विशिष्ट गतिविधियों के लिए जियो टैग ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। 6. राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निग. रानी कार्य का संक्षिप्त विवरण और सार। 7. यह सुनिश्चित करना कि एनपीवी से प्रस्तावित गतिविधियां अनुमोदित कार्य योजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना के निर्देशों के 8. प्रस्तावित गतिविधियाँ दरों की अनुमोदित अनुसूची, अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी आदि के अनुसार होंगी। 9. वन्यजीव क्षेत्रों में सिविल कार्यों का प्रावधान अनुमोदित प्रबंधन योजना के नुस्खों के अनुरूप होगा। 10. गैर–अतिव्यापी गतिविधियों और सभी भौतिक गतिविधियों के मापने योग्य आउटपुट और प्रत्येक अनुमत गतिविधि के लक्ष्यों के संबंध में एक प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रदान किया जाएगा।
13	राजस्थान का ए.पी.ओ		267.69	11. वाहनों की खरीद, बुनियादी ढांचे के विकास, वेतन आदि से संबंधित गतिविधियां चुनाव आयोग के निर्णयों के अनुसार की जाएंगी। 12. वाहनों की मरम्मत कैम्पा निधि से खरीदे गए वाहनों तक ही सीमित होगी। 13. मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों का रखरखाव नियमित राज्य बजट से किया जाएगा। 14. एपीओ के लिए संशोधित गतिविधि वार परिव्यय को रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।
14	ओडिशा का ए.पी.ओ		592.56	
15	पश्चिम बंगाल का ए.पी.ओ		70.07	
16	सिक्किम का ए.पी.ओ		54.38	
17.	त्रिपुरा का ए.पी.ओ		16.74	एपीओ को गैर–अनुमेय गतिविधियों के लिए संशोधन के अधीन सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था और प्रस्तावित परिव्यय को तदनुसार संशोधित किया जाना था और रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाना था।

4.2. पहली संचालन समिति की बैठक 15 नवंबर, 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी । बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित शासी निकाय के सभी सदस्य उपस्थित थे विवरण नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वन अनुसंधान को मजबूत करना	1. पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना। 2. कुशल और टिकाऊ संसाधन उपयोग के उद्देश्य से अनुसंधान करना। 3. वन आनुवंशिक संसाधनों (एफजीआर) के संरक्षण और विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करना। 4. वानिकी क्षेत्र में नीति अनुसंधान करना। 5. क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना। 6. अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।	313.67	शासी निकाय ने पाया कि आईसीएफआरई ने कार्यका. री समिति की टिप्पणियों के अनुसार योजना पर फिर से काम किया है और संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है।
2	सीए निधि से राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा वृक्षारोपण और परिसंपत्तियों के लिए निगरानी प्रोटोकॉल बनाया गया।	1. कैम्पा निधि से जुटाए गए वृक्षारोपण की निगरानी करना। 2. कैम्पा निधि से कार्यान्वित अन्य संपत्तियों और गतिविधियों की निगरानी करना। 3. जीवित रहने के प्रतिशत और वृक्षारोपण की वृद्धि जैसे प्रासंगिक मापदंडों का आकलन करना। 4. विभिन्न हितधारकों के लिए सुलभ पारदर्शी निगरानी मंच बनाना। 5. सीएएफ के तहत उगाए गए वृक्षारोपण पर एक राष्ट्रीय स्थानिक डेटाबेस बनाना।	13.14	राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार शासी निकाय ने एफएसआई की योजना को मंजूरी दे दी।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
3	पूर्ववर्ती तदर्थ कैम्पा द्वारा वित्त पोशित और राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिशद (एनसीएसी) द्वारा अनुमोदित मौजूदा योजनाओं की जांच और अनुमोदन	1. वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। 2. एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)। 3. लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। 4. उत्तराखंड में वन आधारित आजीविका के लिए उत्कृष्टता केंद्र।	1. 8.612. 2. 18.66 3. 100.38 4. 1.427	कार्यकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार योजना की निरंतरता को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
4	वन संसाधन के सुदृढ़ीकरण, निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई सेल की स्थापना	1. सीएएफ अधिनियम 2016 और सीएएफ नियम 2018 के कार्यान्वयन के लिए एफएसआई द्वारा कैम्पा निधि का उपयोग करते हुए राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा किए गए वृक्षारोपण और गतिविधियों की तीसरे पक्ष की निगरानी की आवश्यकता है। 2. एफएसआई और एसएफडी के बीच घनिश्ठ समन्वय और तकनीकी मामलों और कार्यप्रणाली पर एसएफडी को सुविधा प्रदान करना। 3. वनों और वृक्ष आवरण से अतिरिक्त कार्बन सिंक का समर्थन करने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति प्रत्येक एसएफडी में एफएसआई सेल के निर्माण की सिफारिश करती है।	–	शासी निकाय ने राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की सिफारिश के अनुसार योजना को मंजूरी दे दी और कहा कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निगरानी सेल भी बनाया जाना चाहिए।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
5	साइट–विशिष्ट गतिविधि योजना की तैयारी, क्षमता निर्माण, पवन ऊर्जा और प्रजाति कार्य योजनाओं की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना ।	1. संरक्षित क्षेत्र योजनाओं पर प्रवासी पक्षी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित साइट–विशिष्ट कार्यों और उद्देश्यों का विकास करना । 2. प्रवासी पक्षी संरक्षण पर वन कर्मचारियों और अन्य कर्मचा. रियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। 3. भारत में पवन फार्म और ऊर्जा क्षेत्र की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्रण की तैयारी। 4. राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा प्राथमिकता दी गई 20 प्रजातियों के लिए एकल प्रजाति कार्य योजना तैयार करना।	3.7540	शासी निकाय ने योजना को मंजूरी दे दी ।
6	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जंगल की आग के कारण प्रति हेक्टेयर के आधार पर वास्तविक आर्थिक नुकसान के आकलन का प्रस्ताव।	1. वन हानि की मात्रा निर्धारित करना। 2. जले हुए क्षेत्र का आकलन। 3. स्थलीय वनस्पतियों, जीव–जंतुओं की विविधता, जल विज्ञान परिवर्तन और वन उपज का आर्थिक नुकसान आकलन।	3.78	शासी निकाय ने योजना को मंजूरी दे दी।
7	भारत में REDD के कार्यान्वयन के लिए तत्परता गतिविधियों का निष्पादन।	1. सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास। 2. राज्य वन विभाग का क्षमता निर्माण। 3. REDD+ शिक्षण और ज्ञान साझाकरण मंच का विकास। 4. हितधारक की क्षमता निर्माण.	1.204	शासी निकाय ने संशोधित योजना को मंजूरी दे दी
8	बॉन चौलेंज पर वन परिदृष्य बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरका. रों की उन्नत क्षमता निर्माण।	1. वन परिदृश्य बहाली और बॉन चौलेंज पर एक समग्र देश स्तरीय फोकस बनाएं। 2. बॉन चौलेंज पर दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका का प्रदर्शन करें।	5.9	शासी निकाय ने योजना को मंजूरी दे दी और सुझाव दिया कि प्रदर्शन के आधार पर 5 पायलट राज्यों का चयन किया जा सकता है।

क्र.सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
9	राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक मामले	1. राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यालय के लिए 37 पदों की सैद्धांतिक मंजूरी और इन पदों के सृजन और भरे जाने तक तत्काल आवश्यकता के अनुसार इनमें से कुछ पदों को अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से भरने की मंजूरी।	–	गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों/संविदा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।
		2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रशास. निक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को अपनाना।	–	शासी निकाय ने पाया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय प्राधिकरण पर लागू होता है क्योंकि इसे मंत्रालय के हिस्से के रूप में बनाया गया है।

***

वॉच टावर का निमार्ण

पिलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश

अंजनी रेंज हरिद्वार वनमण्डल, उत्तराखंड

अध्याय 5

राष्ट्रीय कैम्पा के लिए खाते और लेखापरीक्षा

5.1 राष्ट्रीय कैम्पा के लिए खाते और लेखापरीक्षा

2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक खाते जुलाई 2022 में सीएजी द्वारा एक साथ तैयार और ऑडिट किए गए थे। भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया गया था, जो मुख्य रूप से उचित रिकॉर्ड के गैर–प्रस्तुति/गैर–रखरखाव के कारण था। प्राधिकारी द्वारा कॉर्पस/पूंजीगत निधि–अनुसूची–। और जमा–अनुसूची–11 के प्रारंभिक/समापन शेष और खातों के गैर–रीकंसीलेशन से संबंधित है।

राष्ट्रीय कैम्पा कार्यालय ने सीएजी की टिप्पणियों को संबोधित करने और 2022–23 के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान सीएजी ऑडिट टीम के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। ऑडिट के बाद, सीएजी ने अपनी राय व्यक्त की कि वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, **जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है** , इस एसएआर में समाधान और प्रारंभिक/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी की गई है। समापन टिप्पणियों में, यह बताया गया कि **भवित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।**

सत्यमेव जयते
SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

NO: DGA (ESD)/EA/SAR/CAMPA/2019-20/482
Dated : 04 NOV 2022

Dear Sir,

We have audited the annual accounts of **Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA), New Delhi** for the year 2019-20 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 4/11/22 During the course of audit, some deficiencies were noticed as per Annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards,

Yours sincerely,

Encl : As above

Sh. Subhash Chandra,
Chief Executive Officer,
National Authority CAMPA
Block No. 3, 4th Floor, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi- 110 003

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

बैलेंस शीट 31.03.2020

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कॉर्पस/पूंजी निधि रु. 5,78,10.65 लाख. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान रु. 7,74,886.41 लाख. कुल कॉर्पस/पूंजी निधि और देनदारियां रु. 13,53,297.06 लाख। वर्तमान संपत्ति, भार, अग्रिम आदि राशि रु। 13,53,297.06 लाख.

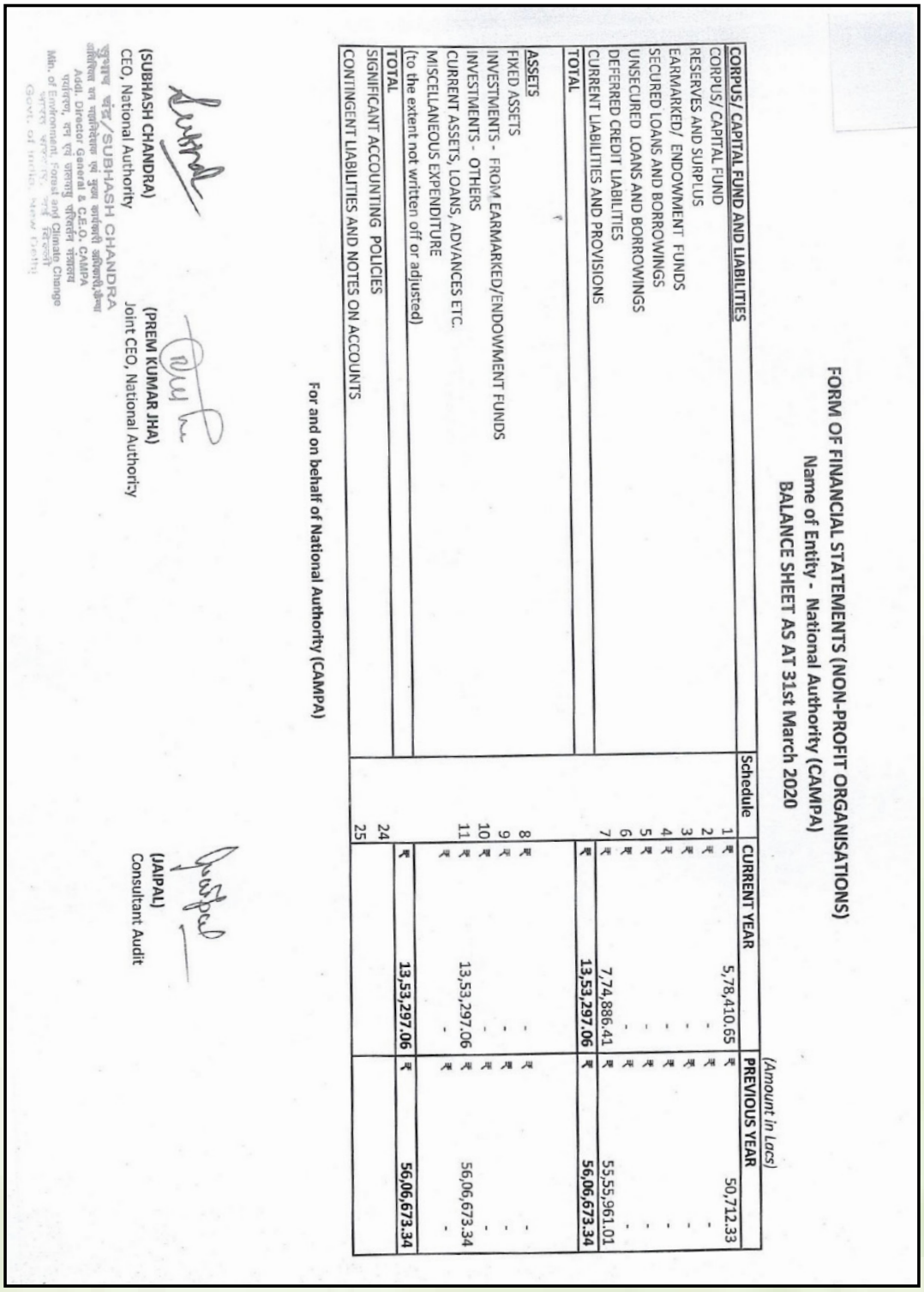

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

BALANCE SHEET AS AT 31st March 2020

(Amount in Lacs)

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	5,78,410.65	50,712.33
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	7,74,886.41	55,55,961.01
TOTAL		**13,53,297.06**	**56,06,673.34**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	-	-
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	13,53,297.06	56,06,673.34
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**13,53,297.06**	**56,06,673.34**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपाली अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

31.03.2020 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

अन्य स्रोतों से आय और अर्जित ब्याज की राशि रु. 5,31,778.20 लाख। अनुदान, सब्सिडी, स्थापना व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय पर व्यय 4,079.88 लाख रूपये है। अधिशेष/(घाटे) का शेष राशि कॉर्पस/पूंजी निधि में 38505.94 लाख ले जाया गया है।

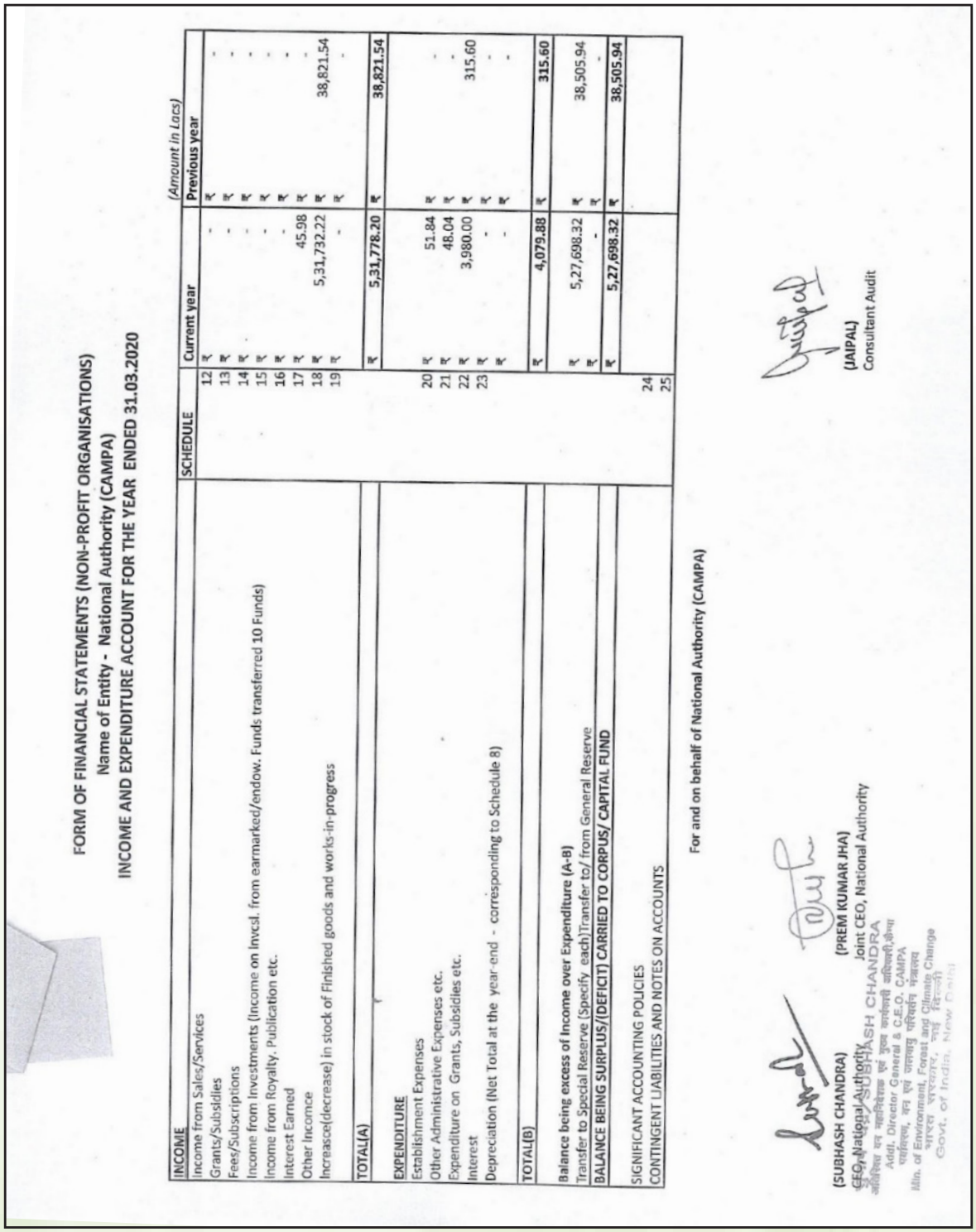

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(Amount in Lacs)

INCOME	SCHEDULE	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	₹ -	₹ -
Grants/Subsidies	13	₹ -	₹ -
Fees/Subscriptions	14	₹ -	₹ -
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred 10 Funds)	15	₹ -	₹ -
Income from Royalty, Publication etc.	16	₹ -	₹ -
Interest Earned	17	₹ 45.98	₹ -
Other Incomce	18	₹ 5,31,732.22	₹ 38,821.54
Increasce(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	₹ -	₹ -
TOTAL(A)		₹ 5,31,778.20	₹ 38,821.54
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	₹ 51.84	₹ -
Other Administrative Expenses etc.	21	₹ 48.04	₹ -
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	₹ 3,980.00	₹ 315.60
Interest	23	₹ -	₹ -
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		₹ -	₹ -
TOTAL(B)		₹ 4,079.88	₹ 315.60
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		₹ 5,27,698.32	₹ 38,505.94
Transfer to Special Reserve (Specify each)Transfer to/ from General Reserve		₹ -	₹ -
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		₹ 5,27,698.32	₹ 38,505.94
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत प्राप्त कुल प्राप्तियाँ रु. 61,42,966.95 लाख जबकि खर्चों के लिए भुगतान, विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन के विरुद्ध भुगतान, निवेश और जमा, अचल संपत्तियों पर व्यय और प्रगति पर पूंजीगत कार्य, अधिषेश धन/ऋण पर रिफंड, वित्त शुल्क और अन्य भुगतान की राशि 61,42,966.95 है।

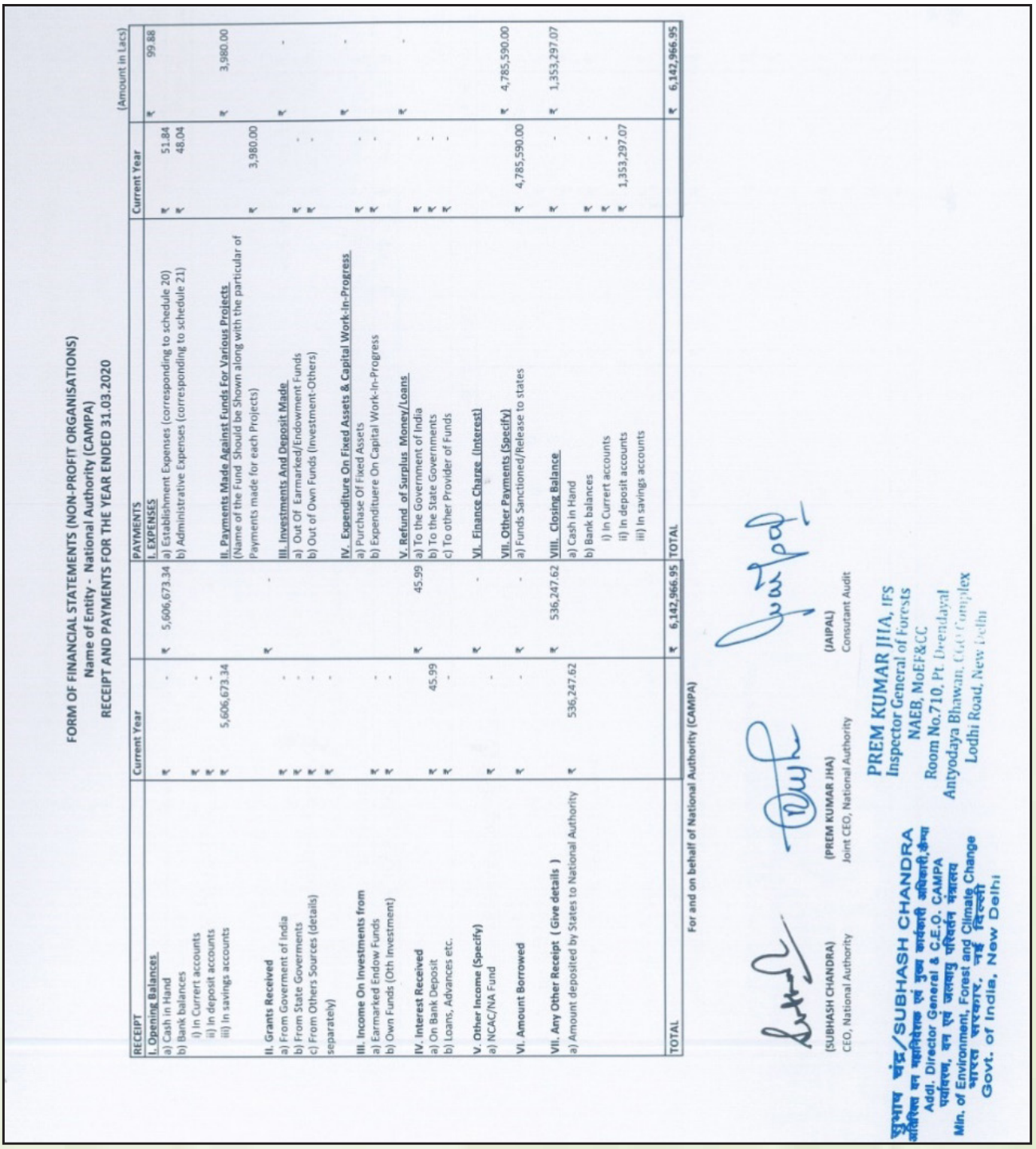

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
RECEIPT AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(Amount in Lacs)

RECEIPT	Current Year		PAYMENTS	Current Year	
I. Opening Balances			I. EXPENSES		
a) Cash in Hand	₹ -		a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	₹ 51.84	
b) Bank balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	₹ 48.04	
i) In Currert accounts	₹ -				
ii) In deposit accounts	₹ -				
iii) In savings accounts	₹ 5,606,673.34	₹ 5,606,673.34			₹ 99.88
			II. Payments Made Against Funds For Various Projects		
			(Name of the Fund Should be Shown along with the particular of		
II. Grants Received		₹ -	Payments made for each Projects)	₹ 3,980.00	
a) From Goverment of India	₹ -				₹ 3,980.00
b) From State Goverments	₹ -		III. Investments And Deposit Made		
c) From Others Sources (details)	₹ -		a) Out Of Earmarked/Endowment Funds	₹ -	
separately)	₹ -		b) Out of Own Funds (Investment-Others)	₹ -	
					₹ -
			IV. Expenditure On Fixed Assets & Capital Work-In-Progress		
III. Income On Investments from			a) Purchase Of Fixed Assets	₹ -	
a) Earmarked Endow Funds	₹ -		b) Expendituere On Capital Work-In-Progress	₹ -	
b) Own Funds (Oth Investment)	₹ -				
			V. Refund of Surplus Money/Loans		₹ -
IV. Interest Received		₹ 45.99	a) To the Government of India	₹ -	
a) On Bank Deposit	₹ 45.99		b) To the State Governments	₹ -	
b) Loans, Advances etc.	₹ -		c) To other Provider of Funds	₹ -	
V. Other Income (Specify)		₹ -	VI. Finance Charge (Interest)		
a) NCAC/NA Fund	₹ -				
			VII. Other Payments (Specify)		₹ 4,785,590.00
VI. Amount Borrowed	₹ -	₹ -	a) Funds Sanctioned/Release to states	₹ 4,785,590.00	
VII. Any Other Receipt (Give details)		₹ 536,247.62	VIII. Closing Balance		₹ 1,353,297.07
a) Amount deposited by States to National Authority	₹ 536,247.62		a) Cash in Hand	₹ -	
			b) Bank balances		
			i) In Currert accounts	₹ -	
			ii) In deposit accounts	₹ -	
			iii) In savings accounts	₹ 1,353,297.07	
TOTAL		₹ 6,142,966.95	TOTAL		₹ 6,142,966.95

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA) CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA) Joint CEO, National Authority

(JAIPAL) Consultant Audit

PREM KUMAR JHA, IFS
Inspector General of Forests
NAEB, MoEF&CC
Room No.710, Pt. Deendayal
Antyodaya Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31 March 2020

(1)We have audited the attached Balance Sheet of **Compensatory Afforestation Management and Planning Authority** (CAMPA) as at 31 March 2020 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3)We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

We were not provided all the information and explanations as detailed in Para 'A', which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

i. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up as per format of Financial Statements (format).

ii. We further report that:

A. Non furnishing/availability of important records/information

1. CAMPA did not furnish the following important information/records:

1.1 As per Rule 33 of the Compensatory Afforestation Fund Rules 2018, details of Monthly and Annual statement of accounts was to be maintained in Form II and Form III respectively by the National Authority. CAMPA replied (August 2022) that Statements in Form-II/III have not been maintained and Accounts have been prepared in the Uniform Format of Accounts as prescribed by Controller General of Accounts.

1.2 CAMPA had 40 bank accounts during 2019-20 viz. 36 State/Union Territory wise bank accounts, two NCAC (Ad-hoc Authority) accounts, one main bank account and one Union Bank of India account. However, CAMPA did not prepare Bank Reconciliation Statements for these accounts for the year 2019-20.

1.3 Cash Book, Ledgers, Fixed Asset Register, Registers showing expenditure by Heads of Accounts, Monthly financial statement of accounts and Physical output and Register of grants were not maintained by the CAMPA.

1.4 CAMPA released grants-in-aid of Rs.39.80 crore during 2019-20. However, it did not furnish the Utilization Certificates and position of outstanding Utilization Certificates in respect to grants released to the Grantee institutions.

1.5 CAMPA did not furnish Receipt and Payment vouchers for the year 2019-20 sought (August 2022) by Audit.

2. Ledgers and broadsheets were not maintained by the CAMPA for the year 2019-20 and reconciliation with PAO (MoEFCC) was not done during the year 2019-20.

B. BALANCE SHEET

1. Assets

1.1 Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule-11) Rs.1353297.06 lakh

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) did not include the consolidated balance of Rs.18486.47 lakh as at 31 March 2020 lying in its 36 nos. state-wise bank accounts in Schedule-11 to its Balance Sheet which resulted in understatement of its Current Assets by Rs.18486.47 lakh.

1.2 Opening balance of Bharat Kosh under Current Assets not verifiable

Closing balance of Bharat Kosh as on 31 March 2019 was arrived by including 'Amount received from states' and 'Amount released to states' during 2018-19 only till 31 January 2019. Thus, the opening balance as on 1 April 2019 is not verifiable. This figure included in Current Assets under Schedule-11 to its Balance Sheet by the CAMPA is hence not verifiable.

The opening balance of Receipt and Payment Account as on 1 April 2019 is thus also not verifiable.

2. Liabilities

2.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7) Rs.774886.41 lakh

2.1.1 Understatement of Current Liabilities

CAMPA depicted an amount of Rs.536247.62 lakh under 'Amount received from states' during 2019-20 in Schedule-7 to its Balance Sheet whereas as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2019-20 total receipt under the head 8336.00.102-National Compensation Afforestation Deposit was Rs.610513.20 lakh. This difference needs to be reconciled.

C. INCOME AND EXPENDITURE ACCCOUNT

1. Income

1.1 Other Income (Schedule-18) Rs.531732.22 lakh

1.1.1 CAMPA during 2019-20 depicted an income of Rs.531732.22 lakh in Schedule-18 in lieu of 10 *per cent* transfer to National Fund. However, as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2019-20 total receipt under the head 8121.00.128-National Compensatory Afforestation Fund was Rs.120348.99 lakh. This difference needs to be reconciled.

CAMPA did not furnish the sanction orders for 10 *per cent* transfer to National Fund during 2019-20 to Audit.

D. GRANTS-IN-AID

CAMPA did not receive any Grant-in-aid during 2019-20.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the CAMPA, monitoring and evaluation of works executed by the CAMPA and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the CAMPA should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2 (7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the CAMPA shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National Authority'. The amount spent by the CAMPA shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Rcoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2019-20, CAMPA was provided a budget of Rs.10000 lakh under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.4079.88 lakh.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of CEO, National CAMPA through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

F. Opinion

In view of the information not furnished by the CAMPA as stated in the paragraph '**A**', we are unable to form an opinion that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. The important comments noticed during audit are stated in paragraphs **B** to **D** and other matters are stated in the Annexure-I.

For and on behalf of
the Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi

Date: 4/11/22

Director General of Audit
(Environment and Scientific Departments)

सीएजी की अलग ऑडिट रिपोर्ट (18 दिसंबर 2023)

भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वित्तीय विवरणों पर एक अस्वीकरण या राय जारी की गई थी, जो मुख्य रूप से संबंधित उचित रिकॉर्ड के गैर–उत्पादन/गैर–रखरखाव के कारण थी। प्राधिकरण द्वारा 'कॉर्पस/पूंजी निधि–अनुसूची । और जमा–अनुसूची 11' का प्रारंभिक/समापन शेष और खातों का गैर–समाधान। वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है, समाधान और प्रारंभिक/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर वर्ष 2022–23 के लिए एसएआर में टिप्पणी की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है:

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

NO: DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2022-23/194

दिनांक: 18 DEC 2023

सेवा में

Member Secretary,
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh,Delhi – 110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi for the year 2022-23**

महोदय

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेसोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज़ जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय एवं दो प्रतियां भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्याल को सूचित की जाएं।

भवदीया

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक(पर्यावरण)

Separate Audit Report on the Audit of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31st March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of **National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (National Authority)** as at 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, except for the issues mentioned below, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A disclaimer of opinion on the financial statements of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) was issued by the C&AG of India for the years 2018-19 to 2021-22, primarily due to non-production/non maintenance of proper records relating to opening/closing balances of 'Corpus/Capital Fund- Schedule 1 and Deposit-Schedule 11' by the Authority and non-reconciliation of accounts. In the financial statement for the year 2022-23, while these issues are largely resolved, the issues regarding reconciliation and the reliability of opening/closing balances that persist have been commented in this SAR.

(A) BALANCE SHEET

A. Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs.2331644.38 lakh

1.1.1 Overstatement of current liabilities

Under Schedule 7-Current Liabilities an amount of Rs 6030.16 lakh has been shown under head "statutory liabilities-others (interest on State Deposits 8336). However, this includes interest amounting to Rs 3139.42 lakh for the period 2018-19 to 2021-22. This had resulted in overstatement of current liabilities and understatement of prior period income both by Rs 3139.42 lakh.

1.1.2 Corpus/Capital Account

National Authority CAMPA had depicted an opening balance amounting to Rs 116.57 crore in the annual accounts for the year 2018-19, the amount having been transferred from the ad-hoc CAMPA. Due to non-availability of basic records, audit was unable to verify the same. However, audit has relied on the audited financial statements Adhoc CAMPA for the year 2017-18 as certified by the statutory auditor i.e. M/s AVA & Associates Chartered Accounts.

B. Income and Expenditure Account

1. Income Rs.92421.40 lakh

1.1 Income from Investment (Schedule-15) Rs. 59830.95 lakh

1.1.1 Overstatement of Income

Income of Rs. 59830.95 lakh shown as income towards 'Income from Investment' received on closure of FD included an amount of Rs. 57087.70 lakh kept under flexi-deposits in the bank account at the beginning of the financial year. This had resulted in overstatement of income besides understatement of prior period income by Rs. 57087.70 lakh.

2. Expenditure Rs. 24359.47 lakh

2.1 Establishment Expenses (Schedule-20): Rs. 81.45 lakh

2.1.1 Overstatement of Expenditure

(i) National Authority had made payment of Rs.6.43 lakh pertaining to March 2022 (financial year 2021-22) to its contractual staff in April 2022 (financial year 2022-23). Similarly, an expenditure of Rs.1.64 lakh towards "Other Administrative Expenses" (hiring of vehicles) pertaining to the prior period has been booked in the financial year 2022-23. This had resulted in overstatement of Expenditure besides understatement of Prior-period Expenses both by Rs. 8.07 lakh (6.43 lakh + Rs 1.64 lakh).

2.1.2 Understatement of Expenditure

(i) National Authority had made payments of Rs.10.25 lakh during the financial year 2023-24 towards payment to contractual staff & consultants etc. for previous years. However, no provisioning for expenses payable during 2022-23 has been made in account. This had resulted in understatement of expenditure and current liabilities during 2022-23 both by Rs 10.25 lakh.

C. General

1. Improper accounting of State Deposits as liabilities of National Authority

The Compensatory Afforestation Fund Act 2016 provided for establishment of funds (viz. National CAMPA Fund and respective State CAMPA Funds) under the Public Account of India and Public Account of each State crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act 1980.

As per the accounting procedure prescribed under para 3 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, all the monies collected by State Governments and Union Territory Administrations placed under the ad-hoc Authority and deposited in the nationalized bank needs to be transferred to the interest-bearing section of the Public Account of India under 'National Compensatory Afforestation Deposits' for each State and Union territory. Each State or Union Territory should be a separate sub-head divided into detailed head for various activities viz. Compensatory Afforestation, Additional Compensatory Afforestation, Penal Compensatory Afforestation, Net Present Value and Protected Areas etc. While remitting the money to the GOI, the ad-hoc Authority should provide detailed state-wise break-up and make one-time transfer of 10 percent share of Central Govt. to the National Fund. Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.

However, the annual accounts of the National Authority for the year 2022-23 revealed that no disclosure of State-wise balances was made in the accounts in respect of the 'National Compensatory Afforestation Deposits' indicating activity-wise details of the money held against each such state. Moreover, the amount transferred in the Public Account of India for various States/Union Territory from the ad-hoc authority still held under 'National Compensatory Afforestation Deposits' was yet to be disbursed completely to the respective States and Union Territories.

Hence, the state-wise/activity-wise bifurcation of the liabilities of Rs. 23,316.40 crore shown towards 'State Deposits & Interest thereon' under Schedule–7 "Current Liabilities" was not disclosed in the accounts besides continuous addition therein in violation of the approved/ notified accounting procedure.

2. Improper flow of CAMPA Funds to Union Public Account instead of respective State Funds

As per the accounting procedure rules, the monies received by the State Governments from user agencies needs to be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits', out of which 90 percent was to be transferred to the SCAF and 10 percent in the National Fund. However, the User Agencies were found violating the above procedure by depositing these receipts in the bank accounts, for respective states, controlled by the National Authority for onward transfer to the Public Account of GOI for further distribution instead of directly remitting these funds to the 'State Compensatory Afforestation Deposits'.

In reply, the Authority stated (October 2023) that the existing practice of collecting the compensatory levies by the National CAMPA through PARIVESH portal continued in view of larger public interest.

3. Non-reconciliation of the balances of National/State Deposits with Public Account

As per the accounting procedure prescribed under para 7 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, the Pay and Accounts Office, MoEF&CC has to maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation on monthly basis with the National Authority. However, no reconciliation from the broadsheets of receipt and payments of PAO was made to ascertain the reasons for differences in the balance shown in the Annual Accounts (National Authority) and Public Account as per Finance Accounts related to MoEF&CC during the period from 2018-19 to 2022-23 leading to variation of Rs. 864.56 crore (i.e. excess amount shown by National Authority for 'National Fund & State Deposits' not reflected in the Public Account) in the year 2022-23. Hence, immediate reconciliation of balances needs to be carried out with reference to the broadsheets of Receipts and Payments against each State, as maintained by the P&AO-MoEF&CC, to ascertain the correctness of balances depicted in National Fund as well as State Deposits (Schedule 11).(As per Annexure Attached)

4(a). Improper disclosure on non-establishment of State/UT Compensatory Afforestation Funds and amount held thereagainst with National Authority

Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.(PG 21,23) Though the State/UT Authorities were notified for 33 States/UTs from October 2018 to September 2020, no disclosure related to the status of funds held against remaining 3-4 UTs/States[1] yet to be established/notified was made in the accounts. Further, the information related to Funds held in Public Account against deposits related to each State/UTs was not found disclosed.

[1]**UTs:** Information related to Dadar & Nagar Haveli and Daman Diu was yet to be compiled, Lakshadweep & Puducherry; **State:** Nagaland, not notified.

4(b). Subsequent to the initial transfer of funds lying in the ad-hoc CAMPA (along with State wise break-up), National Authority CAMPA has been receiving deposits from the user agencies and making disbursements to States CAMPA. The position of reconciliation of balances between States/UTs and National Authority, CAMPA was test checked and the current position of reconciliation is as follows.

Sl. No.	Total No of states/UTs	No of states/UTs	Status
1	36	13	Reconciliation upto 31.3.2022
2	36*	20	Reconciliation upto 31.3.2023

* No fund in r/o 3 States/UTs

Out of total funds deposited with National Authority amounting to Rs 16850.82 crore, an amount of Rs 15893.14 crore has been reconciled and the remaining amount of Rs 957.68 crore stands unreconciled.

5. The 'Establishment Expenses" of Rs. 81.45 lakh under Schedule–20 related to Income & Expenditure Account included "Administrative Expenses" of Rs. 40.30 lakh incurred on account of payments made towards contractual personnel which resulted in misclassification of the administrative expenses as establishment expenditure.

6. National Authority had refunded an amount of Rs 2.94 crore received on A/c of 10% share from Odisha. The same has been depicted under schedule 23-Interest-others-refund to State from National Fund 10%), since it is not part of interest, it has to be depicted in schedule 22– Expenditure on Grants, Subsidies etc.

7. National Authority had received an amount of Rs 270.11 crore as interest on deposits of funds in public accounts, however the same has been shown under Schedule–17–Interest Earned against "saving accounts with scheduled bank" instead of "GOI-Public Accounts".

8. In its accounts National Authority had shown receipt during the year as Rs 32590.44 lakh whereas as PAO had shown the same as Rs 32738.93 lakh. This had resulted in difference of Rs 148.49 lakh. The same may be reconciled under intimation to audit.

9. National Authority in its accounts under schedule 11 - Bank Balance – on deposit accounts (States) as Rs 1420.23 crore and on Bharatkosh Accounts (State Deposits) Rs 21896.22 crore whereas bank balance on deposit accounts (States) as on 31.03.23 was Rs 1879.07 crore. This had resulted in misclassification of Rs 458.84 crore in both the above stated heads.

D. GRANTS-IN-AID

National Authority did not receive any Grant-in-aid during 2022-23.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the National Authority, monitoring and evaluation of works executed by the National Authority and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the National Authority should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2(7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the National Authority shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National Authority'. The amount spent by the National Authority shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Recoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2022-23, National Authority was provided a budget of Rs.250.00 crore under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.243.59 crore.

(E) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO, National Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated as well as other matters mentioned in *Annexure* to this Audit Report, except for the issues stated in the preceding paragraphs, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National CAMPA, as at 31st March 2023 and
b. In as far as it related to Income & Expenditure Accounts, of the ***surplus*** for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 18/12/23

Director General of Audit (E&SD)

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The National Authority is audited by the Internal Audit Wing of MoEFCC. Internal Audit of National Authority has been conducted up to March 2021. Thus, the internal audit of the National Authority was not conducted for the period 2021-23.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 PBR has not maintained by the National Authority.

2.2 Non-marking of identification marks on fixed items: For proper accounting, inventorization, physical verification, location, write off/auction etc., identification marks on each fixed item is a necessary requirement. However, it has been observed that identification marks are missing. The same may be written on every fixed item.

2.3 The National Authority has procured various items such as conference bags and other stationary items etc. but entries of the same were not been made in the consumable stock register.

3. System of physical verification of fixed assets

The Authority has conducted the Physical Verification of fixed assets for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of fixed assets since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

4. System of physical verification of inventory

The Authority has conducted the Physical Verification of consumables for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of inventories since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Annual Accounts and information furnished by the National Authority, no statutory dues were outstanding over six months as on 31.03.2023.

Deputy Director
(Environment Audit)

***

मृदा नमी संरक्षण कार्य

वंताले, भोर वनमण्डल, महाराष्ट्र

गोबियन निर्माण भंडारा, भोर वनमण्डल, महाराष्ट्र

वंताले, अहमदनगर वनमण्डल, महाराष्ट्र

अध्याय 6

राष्ट्रीय कैम्पा निधि 2019–20 के अंतर्गत योजनाएँ

वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्त पोषित योजनाएँ/परियोजनाएँ निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं– **(करोड़ रुपये में,अवधि वर्षों में)**

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना की लागत	फंड जारी किया गया	मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग	क्रियान्वयन एजेंसी
चल रही योजनाएं							
भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद (आईसीएफआरई)							
1	पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान को मजबूत करना।	2019–20	6	313.67	82.093	आर टी	आईसीएफआरई
2	उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जंगल की आग के कारण प्रति हेक्टेयर के आधार पर वास्तविक आर्थिक नुकसान का अनुमान।	2020–21	2	3.79	1.89	आर टी	आईसीएफआरई
3	भारत में REDD+ के कार्यान्वयन के लिए तत्परता गतिविधियों का निष्पादन।	2020–21	1.8	1.20	0.72	एस यू	आईसीएफआरई
4	वानिकी आविष्कारों के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव।	2021–22	2	1.17	0.88	आर टी	आईसीएफआरई

क्र.सं.	योजना / परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना की लागत	फंड जारी किया गया	मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग	क्रियान्वयन एजेंसी
भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई)							
1	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी) – गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास।	2015–16	5	23.00	13.80	वन्य जीव	डब्ल्यूआईआई
2	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड– ईएसआरपी का आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन	2015–16	5	33.85	23.04	वन्य जीव	डब्ल्यूआईआई
3	मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगाई) का संरक्षण–ईएसआरपी।	2015–16	5	19.95	7.714	वन्य जीव	डब्ल्यूआईआई
4	भारत में डुगोंगों और उनके आवासों की पुनर्प्राप्ति– ईएसआरपी।	2015–16	5	23.58	13.05	वन्य जीव	डब्ल्यूआईआई
5	एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)।	2018–19	3	18.66	15.01	वन्य जीव	डब्ल्यूआईआई
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)							
1	राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा वृक्षारोपण और परिसंपत्तियों के लिए बनाया गया निगरानी प्रोटोकॉल।	2019–20	6	13.14	4.20	एस यू	एफएसआई

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना की लागत	फंड जारी किया गया	मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग	क्रियान्वयन एजेंसी
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस)							
1	साइट–विशिष्ट गतिविधि योजना तैयार करने, क्षमता निर्माण, पवन ऊर्जा और प्रजाति कार्य योजनाओं की स्थापना के लिए पक्षी संवेदनशीलता मानचित्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य एशियाई फ्लाईवे राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना।	2019–20	3	3.754	0.9	वन्य जीव	बीएनएचएस

प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन)							
1	बॉन चौलेंज पर वन परिदृढ़य बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकार की बढ़ी हुई क्षमता निर्माण।	2020–21	3.5	5.90	2.95	जीआईएम/एनएईबी	आईयूसीएन

***

गावों का स्वैच्छिक स्थानांतरण

पूर्व स्थिति

स्थानांतरण पश्चात

रनबोडी गांव

Name of Work : Village Relocation Works
APO Year : 2019-20
Location : Ranbodi Village, Umred-Pauni-Karhandla Wild Life Sanctuary and Tiger Reserve, East Wildlife Circle, Nagpur.

पूर्व स्थिति

स्थानांतरण पश्चात, रनबोडी गांव, महाराष्ट्र

अध्याय 7

2019–20 के दौरान कैम्पा की उपलब्धियाँ

7.1. राष्ट्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कैम्पा से धन की प्राप्ति और जारी करना

तदर्थ कैम्पा से प्राप्त धनराशि रु. 31.03.2018 की अवधि तक 54,685.00 करोड़ रुपये जमा हुए और 01.04.2018 से 31.03.2020 तक प्राप्त धनराशि रु. 10232.48 करोड़ है। इस प्रकार, कुल प्राप्तियां रु. 64,917.48 करोड़ रुपये सार्वजनिक खाते में जमा किये गये। 2018–19 और 2019–20 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित की गई कुल धनराशि रु 51,379.49 करोड़ है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	पावती 2019–20	धनराशि प्राप्ति 31.03.2020	जारी धनराशि 2019–20	जारी धनराशि 2018–19 से 2019–20
1	अंडमान एवं निकोबार	13.24	17.00	NIL	1.56
2	आंध्र प्रदेश	121.79	490.84	1734.81	1,839.28
3	अरुणाचल प्रदेश	678.65	705.55	1588.72	1,942.87
4	असम	164.98	262.66	560.81	606.65
5	बिहार	48.11	96.95	522.95	569.57
6	चंडीगढ़	0.09	0.36	11.38	12.65
7	छत्तीसगढ	217.56	394.36	5791.70	5791.70
8	दादर नगर हवेली	1.21	3.52	NIL	NIL
9	दमन एवं दीव	1.20	1.20	NIL	NIL
10	दिल्ली	10.62	39.97	NIL	NIL
11	गोवा	NIL	0.15	238.16	238.16
12	गुजरात	168.11	314.63	1484.60	1,697.26
13	हरियाणा	204.31	436.15	1282.65	1,426.85
14	हिमाचल प्रदेश	93.36	223.49	1660.72	1,793.24
15	जम्मू एवं कश्मीर	1045.33	1191.78	408.35	408.35
16	झारखंड	552.63	1111.75	4158.02	4,444.27
17	कर्नाटक	62.16	114.64	1350.37	1,451.77
18	केरल	4.32	4.33	81.59	96.20
19	मध्य प्रदेश	626.82	1186.53	5196.69	5,465.45
20	महाराष्ट्र	277.14	751.60	3844.24	4,069.24

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	पावती 2019–20	धनराशि प्राप्ति 31.03.2020	जारी धनराशि 2019–20	जारी धनराशि 2018–19 से 2019–20
21	मणिपुर	19.30	30.93	309.76	334.61
22	मेघालय	5.87	5.87	163.31	163.31
23	मिजोरम	4.66	160.69	212.98	221.28
24	ओडिशा	380.58	777.63	5933.98	6,487.98
25	पंजाब	31.17	177.70	1040.84	1,120.04
26	राजस्थान	54.61	93.89	1748.26	1,930.29
27	सिक्किम	11.33	54.78	392.36	392.36
28	तमिलनाडु	6.84	19.94	113.42	120.42
29	तेलंगाना	74.39	647.88	3110.38	3,347.76
30	त्रिपुरा	53.05	85.08	183.65	200.35
31	उत्तर प्रदेश	104.76	298.14	1819.63	1,970.23
32	उत्तराखंड	251.35	424.63	2675.09	2,978.09
33	पश्चिम बंगाल	72.95	107.86	236.48	257.70
कुल		**5,362.48**	**10,232.48**	**47,855.90**	**51,379.49**

7.2. राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य प्राधिकरण को निधि का संवितरण

वनीकरण गतिविधियों, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना, शुद्ध वर्तमान मूल्य और ब्याज घटक को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कैम्पा से 47,855.90 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्रकिपूरक क्षेत्र	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	वन्यप्राणि संवधन	शुद्ध मूल्य	व्याज	अतिरक्त	कुल
1	आंध्र प्रदेश	475.21	92.99	3	926.99	63.6	173.02	1,734.81
2	अरुणाचल प्रदेश	314.97	148.3	24.05	891.08	66.58	143.74	1,588.72
3	असम	73.61	NIL	NIL	426.54	14.08	46.58	560.81
4	बिहार	135.35	NIL	NIL	300.17	50.76	36.67	522.95
5	चंडीगढ़	7.89	NIL	NIL	2.92	0.56	NIL	11.37
6	छत्तीसगढ	1,086.91	24.49	302.76	3,410.06	822.47	145.01	5,791.70
7	गोवा	22.18	NIL	NIL	136.13	77.36	2.49	238.16
8	गुजरात	505.1	NIL	12.79	877.91	54.64	34.16	1,484.60
9	हरियाणा	603.66	27.47	NIL	487.48	46.45	117.59	1,282.65
10	हिमाचल प्रदेश	224.36	486.45	266.77	631.4	18.92	32.82	1,660.72
11	जम्मू एवं कश्मीर	NIL	NIL	13.28	395.07	NIL	NIL	408.35
12	झारखंड	453.25	NIL	178.15	2,828.01	220.13	478.48	4,158.02

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्रकिपूरक क्षेत्र	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	वन्यप्राणि संवधन	शुद्ध मूल्य	व्याज	अतिरक्त	कुल
13	कर्नाटक	150.46	35.59	NIL	944.6	81.23	138.49	1,350.37
14	केरल	8.9	0.55	NIL	55.01	16.33	0.8	81.59
15	मध्य प्रदेश	1,552.67	85.86	60.3	2,751.46	446.66	299.74	5,196.69
16	महाराष्ट्र	1,011.46	163.22	34.12	2,002.31	441.67	191.46	3,844.24
17	मणिपुर	59.54	41.35	0.1	192.7	7.63	8.44	309.76
18	मेघालय	6.01	0.98	NIL	104.55	46.82	4.95	163.31
19	मिजोरम	26.38	8.92	NIL	175.87	0.25	1.56	212.98
20	ओडिशा	449.08	59.75	854.17	4,188.15	159.75	223.08	5,933.98
21	पंजाब	475.77	1.69	NIL	499.24	39.64	24.5	1,040.84
22	राजस्थान	273.5	63.75	133.55	1,122.59	51.34	103.53	1,748.26
23	सिक्किम	85.49	85.55	18.62	142.76	47.38	12.56	392.36
24	तमिलनाडु	31.88	0.86	0.52	60.03	6.66	13.47	113.42
25	तेलंगाना	1,226.81	58.48	75.85	1,591.36	126.06	31.82	3,110.38
26	त्रिपुरा	43.32	NIL	NIL	88.84	8.03	43.46	183.65
27	उत्तर प्रदेश	729.5	5.27	NIL	875.59	77.88	131.4	1,819.64
28	उत्तराखंड	312.83	67.32	62.52	1,457.60	140.68	634.14	2,675.09
29	पश्चिम बंगाल	41.9	11.58	0.69	128.96	27.01	26.34	236.48
कुल		**10,387.99**	**1,470.42**	**2,041.24**	**27,695.38**	**3,160.57**	**3,100.30**	**47,855.90**

7.3. राष्ट्रीय कैम्पा निधि से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एपीओ स्थिति

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के एपीओ की कुल लागत, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एपीओ, राज्य सरकार द्वारा जारी फंड और 2019–20 के दौरान कैम्पा कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए गए फंड के बारे में विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। रुपये की राशि. विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 5735.42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 5557.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 3787.09 करोड़ रुपये जारी किए गए। संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 3431.51 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	एपीओ स्वीकृत	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फंड	राज्य प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया फंड
1	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	1.56	शून्य	0.00
2	आंध्र प्रदेश	322.97	322.97	98.48	98.48
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	139.52	166.2*

4	असम	55.89	55.89	शून्य	32.02*
5	बिहार	140.18	140.18	140.18	125.39
6	चंडीगढ़	1.87	1.87	1.40	1.4
7	छत्तीसगढ	848.51	848.51	500	429.21
8	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	0.03*
9	गोवा	17.95	17.95	शून्य	6.86*
10	गुजरात	256.47	212.66	शून्य	118.5
11	हरियाणा	96.84	100.97	20.20	60.68
12	हिमाचल प्रदेश	145.82	145.82	145.82	88.5
13	जम्मू एवं कश्मीर	126.74	126.74	138.19	113.51
14	झारखंड	399.29	399.29	300.43	223.57
15	कर्नाटक	146.22	113.69	113.07	104.14
16	मध्य प्रदेश	506.38	453.50	506.38	343.15
17	महाराष्ट्र	499.38	499.38	151.52	151.52
18	मणिपुर	30.36	30.97	30.37	30.97*
19	मिजोरम	19.23	19.23	शून्य	शून्य
20	ओडिशा	592.52	566.34	600	556.33
21	पंजाब	102.15	102.15	51.6	64.73*
22	राजस्थान	267.69	256.39	100	80.10
23	सिक्किम	54.38	44.96	44.96	39.46
24	तमिलनाडु	शून्य	0.56	शून्य	0.56*
25	तेलंगाना	510	501.26	501.26	260.6
26	त्रिपुरा	20.83	20.84	6.5	17.38*
27	उत्तर प्रदेश	285.68	285.68	197.21	180.69
28	उत्तराखंड	218	218	शून्य	124*
29	पश्चिम बंगाल	70.07	70.07	शून्य	13.53*
	कुल	**5735.42**	**5557.43**	**3787.09**	**3431.51**

'उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष धनराशि शामिल है

नोटरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.4 1980 से 2020 तक कैम्पा निधि के तहत किए गए प्रतिकरात्मक वनरोपण (CA) और दंडात्मक (PENAL) प्रतिकरात्मक वनरोपण (PCA) और अन्य कार्यों की स्थिति

कैम्पा के तहत 1980 से 2020 तक 908551.32 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले कुल 796835.9 2 हेक्टेयर (87.70%) प्रतिकरात्मक वनरोपण (CA) पूरा किया जा चुका है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए का लक्ष्य	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए की उपलब्धि		सीए/पीसीए का कुल शेष
		हेक्टेयर में	हेक्टेयर में	%	हेक्टेयर में
1	अंडमान एवं निकोबार	2274.457	359.864	15.82	1914.593
2	आंध्र प्रदेश	37840.03	35777.22	95	2062.81
3	अरुणाचल प्रदेश	28971.31	19397.28	66.95	9574.03
4	असम	7755.9366	8282.574	100	शून्य
5	बिहार	4631.55	2742.48	59.21	1889.07
6	चंडीगढ़	111	111	100	शून्य
7	छत्तीसगढ	77466.373	69549.617	89.78	7916.756
8	दिल्ली	128.58	128.58	100	शून्य
10	गुजरात	87353.68	85248.89	97.59	2104.79
11	हरियाणा	13114.34	8477.14	64.64	4637.2
12	हिमाचल प्रदेश	27118	25204	92.94	1914
13	जम्मू एवं कश्मीर	24222	22971.82	94.83	1250.18
14	झारखंड	54229.011	30708.434	56.63	23520.577
15	कर्नाटक	27352.36	25850.09	94.51	1502.27
16	केरल	59458.251	58,641.03	98.62	845.217
17	मध्य प्रदेश	236698.113	229824.949	97	शून्य
18	महाराष्ट्र	6891.775	1454.96	21.11	5436.815
19	मणिपुर	7039.08	6043.20	85.85	995.88
20	मेघालय	1311.635	597.5678	45.55	714.0672
21	मिजोरम	11472.4721	8488.9721	73.99	2983.50
22	ओडिशा	72606.57	64050.9	88.22	8555.67
23	पंजाब	678.36	294.26	43.38	384.10
24	राजस्थान	3200.00	2610.59	81.58	589.41
25	सिक्किम	171.64	171.64	100	916.25
26	तमिलनाडु	3775.455	3259.777	86.34	515.678
27	तेलंगाना	31600.958	18623.634	58.93	12977.324

28	त्रिपुरा	484.338	484.338	100	शून्य
29	उत्तर प्रदेश	21906.47	21142.21	96.51	764.26
30	उत्तराखंड	55185.81	43764.01	79.30	11421.8
31	पश्चिम बंगाल	3501.77	2574.89	73.53	926.88
	कुल	**908551.32**	**796835.92**	**87.70**	**106313.13**

नोटरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.5. केवल प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत राज्यवार वृक्षारोपण–एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर

वर्ष 2019–20 में 73.27ः शुद्ध जीवितता प्रतिषत के साथ 468.52 लाख पौधे रोपे गए।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोपे गए पौधे(लाख में)	संख्या में अंकुर बच गए	अंकुरों के जीवित रहने की संख्या (%)
1	अंडमान एवं निकोबार	0.44	0.43	98
2	आंध्र प्रदेश	9.92	8.73	88
3	अरुणाचल प्रदेश	4.62	3	65
4	असम	22.02	16.51	75
5	बिहार	5.02	4.86	97
6	चंडीगढ़	0.11	0.1	91
7	छत्तीसगढ	14.78	13.63	92
8	गोवा	0.74	0.67	90
9	गुजरात	21.36	18.15	85
10	हरियाणा	2.94	2.04	70
11	हिमाचल प्रदेश	11.15	8.02	72
12	जम्मू एवं कश्मीर	10.94	6.56	60
13	झारखंड	45.01	44.11	98
14	कर्नाटक	9.53	6.04	63
15	मध्य प्रदेश	114.71	93.83	82
16	महाराष्ट्र	31.37	25.5	81
17	मेघालय	0.05	0.04	75
18	ओडिशा	18.65	13.43	72
19	पंजाब	13.11	11.14	85
20	राजस्थान	18.5	14.59	78
21	सिक्किम	1.89	1.23	65
22	तमिलनाडु	0.01	0.01	96
23	तेलंगाना	42.03	35.84	85

24	त्रिपुरा	5.38	4.13	77
23	उतार प्रदेश	10.25	9.32	91
25	उत्तराखंड	51.55	28.00	55
26	पश्चिम बंगाल	2.44	1.37	56
	कुल	466.52	371.28	79.25

नोटरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.6. वनरोपण, वन पुनर्जनन, संरक्षण में सृजित हरित रोजगार (दैनिक मजदूरी उत्पन्न)

राज्यों ने 241015.271 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य वृक्षारोपण के विरूद्ध 253529.312 हे. 75081262 व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजन, कुल व्यय रु. 2540.65 करोड़ रुपये और उन्हें मजदूरी के रूप में 1385.08 करोड़ रुपये प्रदान करना।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ'	रोजगार उत्पन्न हुआ	कैम्पा के अंतर्गत कुल व्यय	कैम्पा के अंतर्गत मजदूरी पर व्यय ''
		हेक्टेयर में	हेक्टेयर में	व्यक्तिगत दिनों में	रुपये में लाखों	रुपये में लाखों
1	अंडमान एवं निकोबार	2.325	शून्य	1242	5.77	5.77
2	आंध्र प्रदेश	16658.65	15829	18631300	9847.99	6893.59
3	अरुणाचल प्रदेश	सीए (आई) अग्रिम कार्य–904 हेक्टेयर। (ii) सृजन – 419.70 हे. हेक्टेयर में (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 6735 हे. एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) –2852 हेक्टेयर। (ii) कृत्रिम वृक्षारोपण – 7278 हेक्टेयर। (iii) ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) – 532 हेक्टेयर। (iv) बांस वृक्षारोपण (उन्नत नर्सरी में निर्माण) – 15 हेक्टेयर। कैट योजना घटक वनीकरण वृक्षारोपण – 2844 हेक्टेयर।	सीए (आई) अग्रिम कार्य–904 हेक्टेयर। (ii) सृजन – 419.70 हे. हेक्टेयर में (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 6735 हे. एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) –2852 हेक्टेयर। (ii) कृत्रिम वृक्षारोपण – 7278 हेक्टेयर। (iii) ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) – 532 हेक्टेयर। (iv) बांस वृक्षारोपण (उन्नत नर्सरी में निर्माण) – 15 हेक्टेयर। कैट योजना घटक वनीकरण वृक्षारोपण – 2844 हेक्टेयर।	2349845	3250.76	290.3

4	असम	2309.566	2084.318	665160	3242.66	1662.9****
5	बिहार	4757.63 हेक्टेयर 1092.25 कि.मी	4658.62 हेक्टेयर 1045.25 कि.मी	3368552	12538.5	9027.72***
6	चंडीगढ़	10.5 हे.	10.5 हे.	26098	136.89	112.94
7	छत्तीसगढ	6585.02	4088.25	920796	5639.14	2633.48
8	गोवा	409.80 हेक्टेयर 68 कि.मी	409.806 हेक्टेयर 20 कि.मी	24595	110.89	46.06
9	गुजरात	1922.42	1922.42	1828704	11850.00	
10	हिमाचल प्रदेश	2047	1672	173320	619	433.3
11	जम्मू एवं कश्मीर	6047	6636.6	2260200	11301	5085.45
12	झारखंड	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3861.746 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 9500 हेक्टेयर, 109.734 किमी, 30400 गेबियन समापन कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3733.252 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 10401 हेक्टेयर, 44.827 किलोमीटर रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 17827.265 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 2810 हेक्टेयर, 229.957 किमी, 244474 गेबियन	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 2734.493 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 8079.53 हेक्टेयर, 53. 233 किलोमीटर 30400 गेबियन समापन कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3687.253 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 10401 हेक्टेयर, 44.827 किलोमीटर रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 17792.13 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 2710 हेक्टेयर, 229.957 किमी, 244474 गेबियन	24,40,981	10163.839	6098.3034
13	कर्नाटक	46466.44	44884.52	2815962	10414.68	9373.21
14	मध्य प्रदेश	86804	86804	8449168	34315	20589
15	महाराष्ट्र	25543.354	22715.57	1617849	10942.54	6018.397
16	मणिपुर	280	280	15680	3036	35.28
17	ओडिशा	29882.86	28645.66	7818312	55633.59	21891.27
18	पंजाब	6888.75	5892.98	2763947	6472.65	5825.39
19	राजस्थान	9200.00	8610.59	2782657	6812.71	5927.06
20	सिक्किम	171.64	171.64	513468	3603.56	1540.40
21	तेलंगाना	7107.567	5350.68	8710426	26060.136	18378.9979
22	त्रिपुरा	564.338	564.338	54176	1738.29	841.21

23	उत्तर प्रदेश	वृक्षारोपण – 17625.82 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 95888 संख्या एएसडब्ल्यू – 12452.65 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 85352 संख्या रखरखाव। – 30076. 30 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 1087749 संख्या।	वृक्षारोपण – 17415.16 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 62706 संख्या एएसडब्ल्यू – 12403.58 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 66495 संख्या रखरखाव। – 29421.89 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 663909 संख्या।	4742658	13753.71	8252.22**
24	उत्तराखंड	4717.51	4500	2045626.00	12328.2	7396.92
25	पश्चिम बंगाल	333.2	362.71	60540	247.2	148.32
	कुल	**253529.312**	**241015.271**	**75081262**	**254064.71**	**138507.49**

*****सीए वृक्षारोपण, गैर–सीए वृक्षारोपण और एएनआर कार्यों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां दी गई हैं।*

*******'मजदूरी पर व्यय में वृक्षारोपण का रखरखाव शामिल है*

********नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण*

7.7. वनों और संरक्षित क्षेत्रों में किए गए मृदा नमी संरक्षण कार्य

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य किए जाते हैं, जिसमें 2019–20 में वार्षिक व्यय 285.47 करोड़ रुपये है, जिसमें 1981 तालाबों/जल निकायों, 12835 बांधों और 1598010 अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाब/जल निकाय	बांध	अन्य जल संचयन सं. रचना	मृदा एवं नमी संरक्षण पर व्यय
		संख्या में	संख्या में	संख्या में	रुपये में. लाखों
1.	आंध्र प्रदेश	108	108	सीसीटी/एसटी – 90699 सह	106.24
2.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	6831.273*
3.	छत्तीसगढ	546	263	1224377	14407.49
4.	गोवा	12	57	2506	65.89
5.	हिमाचल प्रदेश	72	5517	4039	910.82
6.	जम्मू एवं कश्मीर	21	1204	1139	229
7.	झारखंड	0	391	65	2523.48
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	6.80*
9.	मणिपुर	शून्य	शून्य	1	40
10.	ओडिशा	81	2575	शून्य	918.21662
11.	राजस्थान	शून्य	शून्य	81 एनीकट	304.60
12.	सिक्किम	14	8	32	200.51
13.	तेलंगाना	शून्य	23 चेक बांध	45 नग परकोलेशन टैंक और 15 नग–मिनी परकोलेशन टैंक	196.576
14.	त्रिपुरा	शून्य	5	शून्य	94.51
15.	उत्तर प्रदेश	रास	रास	रास	450.36
16.	उत्तराखंड	1127	2684.00	कंटूर ट्रेंच	1261ण्32
	कुल	**1981**	**12835**	**1598010**	**28547.09**

'व्यय में कार्य/प्रतिबद्ध देनदारियों का खर्च शामिल है

नोटरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.8. वन संरक्षण और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए बनाई गई बुनियादी सुविधाएं/सुविधाएं

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कुल रु. के व्यय से 746 क्वार्टर, 65 क्षेत्रीय कार्यालय, 95 चेक पोस्ट का निर्माण किया। वन सुरक्षा और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए 133.88 करोड़ है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्वार्टर	कार्यालय	चेक पोस्ट	कुल व्यय
		संख्या में	संख्या में	संख्या में	रूपये लाखों में
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	18.54*
2.	अरुणाचल प्रदेश	70	39	14	3097.99
3.	असम	2	शून्य	शून्य	19.22
4.	बिहार	120	1	शून्य	1911.82
5.	छत्तीसगढ	114	11	22	669.08
6.	गोवा	शून्य	शून्य	6	6.69
7.	हिमाचल प्रदेश	24	7	1	153.48
8.	जम्मू एवं कश्मीर	11	1	शून्य	104.64
9.	झारखंड	28	शून्य	शून्य	1141.087
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	90.68*
11.	मणिपुर	3	1	1	180
12.	ओडिशा	294	शून्य	शून्य	4912.09
13.	राजस्थान	वन चौकियाँ 25 कार्यालय सह निव. सी 7	शून्य	शून्य	116.00
14.	सिक्किम	1 नया निर्माण	2 जीर्णोद्धार	शून्य	60
15.	तेलंगाना	27 (17 संख्या–वन रेंज अधिकारी, 9 संख्या–एफएसओ/डीवाई.आरओ, 1 संख्या–एफबीओ)	शून्य	शून्य	124.506
16.	त्रिपुरा	6	3	शून्य	207.20
17.	उत्तर प्रदेश	14	शून्य	शून्य	105.83
18.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	51.00	469.53
	कुल	**746**	**65**	**95**	**13388.383**

**व्यय में कार्य/प्रतिबद्ध देनदारियों का खर्च शामिल है*

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

LiFE
Lifestyle for Environment
THE COMPENSATORY AFFORESTATION FUND ACT, 2016
Salient Features
• Compensatory levies are realized from user agencies in lieu of diversion of forest land in accordance with the provisions of the Forest Conservation) Act, 1980.
• Compensatory levies viz. the costs of compensatory afforestation, catchment area treatment plan, implementation of Integrated Wildlife Management Plan for mitigation of impact on wildlife and Net Present value are realized, wherever applicable for compensating the loss of forest land and ecosystem services.
• These compensatory levies are apportioned in the National and State Fund in the ratio of 10:90. These funds are non-lapsable and interest-bearing. National Fund is maintained in Public Account of India, whereas State/ UT Funds are maintained in Public Account of the respective State or Union Territory.
• A National Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority (National CAMPA) for management and utilization of compensatory afforestation fund functionsat National level. National CAMPA consists of Governing Body, Executive committee and a Monitoring Group.
• State and Union Territory CAMPA (Authorities) function at respective State and Union Territory levels for management and utilization of compensatory afforestation fund.
• Fund received for Compensatory afforestation, Catchment Area Treatment Plan, implementation of Integrated Wildlife Management Plan and for any other site-specific activity/ scheme are used as per approved plans/ schemes as per approval granted under the Forest (Conservation) Act, 1980.
• Net Present Value funds are used for enhancement of ecosystem services through the activities involving artificial regeneration (plantation), assisted natural regeneration, forest management, forest protection, forest and wildlife related infrastructure development, improvement of wildlife habitat, forest fire control and prevention etc.
• The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 and the Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 provide for the detailed procedure and mechanism for implementation of various activities and their monitoring and evaluation.